



कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

राजस्व शाखा – साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)

दूरभाष : 07759-221288, फ़ैक्स : 07759-221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड – 495677
विज्ञापन बोर्ड की प्री.बीड. मिटिंग दिनांक 9.07.2015 में लिये गये निर्णय
Website : www.korbhamunicipal.in, Email : corporationkorba@gmail.com

फा.क्र./राजस्व/तीन/2015

कोरबा, दिनांक

संशोधित निविदा आमंत्रण सूचना

निगम क्षेत्र अंतर्गत जारी होर्डिंग्स की निविदा के पूर्व प्री.बीड. मिटिंग दिनांक 9.07.2015 को निगम के एमआईसी के सभा कक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा होर्डिंग्स से संबंधित जारी निविदा व शर्तें बाबत विचार/सुझाव दिये गये एवं चर्चा की गई। जिसमें सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

1. शा.भूमि की निविदा शर्तें क्रमांक-07, शा.भवन की छत की निविदा शर्तें क्र. 06 एवं सडक के मध्य विद्युत पोल की निविदा शर्तें क्र. 06 में उल्लेखित लिफाफा "ब" में मूल निविदा प्रपत्र जिसमें दर अंकित हो भरकर देना होगा, लिफाफा "ब" के स्थान पर "स" पढा जावे।
2. डाउन लोड करने पर निविदा प्रपत्र की राशि रु. 750/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक देना होगा।
3. सभी का मूल रसीद लिफाफा "अ" में देना होगा।
4. यदि फार्म "ब" पी.डब्ल्यू.डी. का हो तो उसे निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।
5. अल्का काम्प्लेक्स के छत में होर्डिंग्स नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है।
6. संशोधित निविदा आमंत्रण सूचना में 10 जुलाई 2015 से 30 जून 2020 अंकित हो गया है उसे प्राप्त निविदा में कार्यआदेश होने के दिनांक से आगामी 5 वर्ष के लिए पढा जावे।
7. शा.भूमि, शा.भवन की छत एवं सडक मध्य विद्युत पोल की निविदा शर्तें में जमा की जाने वाली आमानत राशि बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।
8. निविदा शर्त क्र. 60 में उल्लेखित प्रति वर्गफुट हेतु शासकीय भूमि पर रूपये 60/- न्यूनतम होगा के स्थान पर पूर्व वर्ष की प्राप्त उच्चतम निविदा दर में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि करते हुए उच्चतम ऑफर दर लेने का निर्णय लिया गया है। जो निम्नानुसार है :-

क्रमश-2//



कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

राजस्व शाखा - साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ.ग.0)

दूरभाष : 07759-221288, फैक्स : 07759-221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड - 495677

Website : www.korbamunicipal.in, Email : corporationkorba@gmail.com

// 2 //

क्र.	निविदा दिनांक एवं प्रस्ताव क्र./दिनांक	जोन क्रमांक एवं नाम	विज्ञापन बोर्ड की संख्या	दर प्रति वर्गफुट	विज्ञापन एजेन्सी का नाम	10 प्रतिशत की वृद्धि सहित प्रति वर्ष की दर			
						2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	18.10.2011 एवं प्र.क्र. 354 दि. 05.01.2012	कोरबा जोन	शा.भूमि पर 20 नग	64.00	यश इन्टरप्राइजेस एण्ड एडव्हर टाईजर्स, कोरबा	70.40	77.44	85.18	93.70
2			शा.भवन के छत पर 02 नग	84.00		92.40	101.64	111.80	122.98
3	18.10.2011 एवं प्र.क्र. 354 दि. 05.01.2012	कोसाबाड़ी जोन	शा.भवन के छत पर 07 नग	96.00	जैन एडव्हर टाईजर्स, नया बस स्टैण्ड, कोरबा	105.60	116.16	127.78	140.55
4	--	दर्श जोन	शा.भूमि पर 25 नग	62.00	श्री गुप्ता गुप्ता एडव्हर टाईजर्स, तुलसी नगर कोरबा	68.20	75.02	82.52	90.77
5	--	बांकीमोगरा	शा.भूमि पर 18 नग	36.00	जैन एडव्हर टाईजर्स, नया बस स्टैण्ड, कोरबा	39.60	43.56	47.92	52.71
6	--	बालको, दिनांक 13.3.2012	शा.भूमि पर 10 नग	59.50	मारुति भीडिया, प्रेस काम्पलेक्स, कोरबा	65.45	72.00	79.19	87.11
7	1.02.2012 प्र.क्र. 404 दि. 17.02.2012	परिवहन नगर	शा.भवन के छत 4 नग	126.00	जैन एडव्हर टाईजर्स, नया बस स्टैण्ड, कोरबा	138.60	152.46	167.71	184.48
8	निविदा समिति की अनुशंसा दि.15.09.2014	परिवहन नगर	शा. भूमि पर 12 नग	155.80	कोठारी क्रियेशन, तुलसी नगर कोरबा	-	-	155.80	171.38
9	-	कोरबा जोन	विद्युत खम्भो पर 45 नग	233.50	-	-	-	-	233.50
10	निविदा समिति की अनुशंसा दि. 14.2.2013	परिवहन नगर	विद्युत खम्भो पर 73 नग	233.50	आशीष एड इन्वेन्ट. मेन रोड कोरबा	-	-	-	233.50
11	-	कोसाबाड़ी जोन	विद्युत खम्भो पर 78 नग	233.50	-	-	-	-	233.50

उपरोक्त निर्णय सर्वममति से पारित किया गया है।

B. S. S. E.
होर्डिंग्स अधीक्षक
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

(३)

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

नगर पालिक निगम कोरबा, सीमांतर्गत विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु

निविदा प्रपत्र

प्रति,

आयुक्त,

नगर पालिक निगम, कोरबा

जिला-कोरबा (छ.ग.)

निविदा फार्म शुल्क - 750/-

रसीद क्रमांक व दिनांक

विषय :- नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग्स) लगाने हेतु निविदा प्रपत्र बाबत।

नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत कोरबा जोन में चिन्हांकित स्थलों में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाने हेतु निर्धारित शर्तों के तहत सहमत हूँ। निगम द्वारा निर्धारित शर्तों की जानकारी ली जाकर पढ़कर सोच-समझ कर निविदा (ऑफर) प्रपत्र प्रस्तुत है।

क्र.	जोन क्रमांक एवं नाम	विज्ञापन बोर्ड की संख्या	प्रतिबोर्ड साईज (वर्ग फुट)	निर्धारित दर (प्रति वर्गफुट)	अवधि	निविदा (ऑफर) राशि (प्रति वर्गफुट में)
1.	1 कोरबा जोन	20 नग (शा.भूमि पर)	20'x10'	रु. 93.70	05 वर्ष	अंकों में : शब्दों में :

मेरे द्वारा निर्धारित अमानत राशि रु. (शब्दों में)

..... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर क्र.एवं दिनांक

..... बैंक का नाम में नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) में जमा की गई है।

अतः मुझे कोरबा जोन में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने की अनुमति प्रदान करें। नगर पालिक निगम, कोरबा की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम -

पिता/पति का नाम -

स्थायी पता -

.....

मोबाईल नं.-

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

नगर पालिक निगम कोरबा, सीमांतर्गत विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु

निविदा प्रपत्र

प्रति,

आयुक्त,

नगर पालिक निगम, कोरबा

जिला-कोरबा (छ.ग.)

निविदा फार्म शुल्क - 750/-

रसीद क्रमांक व दिनांक

विषय :- नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग्स) लगाने हेतु निविदा प्रपत्र बाबत।

नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत परिवहन नगर जोन में चिन्हांकित स्थलों में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाने हेतु निर्धारित शर्तों के तहत सहमत हूँ। निगम द्वारा निर्धारित शर्तों की जानकारी ली जाकर पढ़कर सोच-समझ कर निविदा (ऑफर) प्रपत्र प्रस्तुत है।

क्र.	जोन क्रमांक एवं नाम	विज्ञापन बोर्ड की संख्या	प्रतिबोर्ड साईज (वर्ग फुट)	निर्धारित दर (प्रति वर्गफुट)	अवधि	निविदा (ऑफर) राशि (प्रति वर्गफुट में)
1.	2 परिवहन नगर जोन	12 नग (शा.भूमि पर)	20'x10'	रु. 171.38	05 वर्ष	अंकों में : शब्दों में :

मेरे द्वारा निर्धारित अमानत राशि रु. (शब्दों में)

..... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर क्र.एवं दिनांक

..... बैंक का नाम में नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) में जमा की गई है।

अतः मुझे परिवहन नगर जोन में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने की अनुमति प्रदान करें। नगर पालिक निगम, कोरबा की सभी शर्तें मुझे मान्य है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम -

पिता/पति का नाम -

स्थायी पता -

मोबाईल नं.-

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

नगर पालिक निगम कोरबा, सीमांतर्गत विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु

निविदा प्रपत्र

प्रति,

आयुक्त,

नगर पालिक निगम, कोरबा

जिला-कोरबा (छ.ग.)

निविदा फार्म शुल्क - 750/-

रसीद क्रमांक व दिनांक

विषय :- नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग्स) लगाने हेतु निविदा प्रपत्र बाबत।

नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत बालको जोन में चिन्हांकित स्थलों में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाने हेतु निर्धारित शर्तों के तहत सहमत हूँ। निगम द्वारा निर्धारित शर्तों की जानकारी ली जाकर पढ़कर सोच-समझ कर निविदा (ऑफर) प्रपत्र प्रस्तुत है।

क्र.	जोन क्रमांक एवं नाम	विज्ञापन बोर्ड की संख्या	प्रतिबोर्ड साईज (वर्ग फुट)	निर्धारित दर (प्रति वर्गफुट)	अवधि	निविदा (ऑफर) राशि (प्रति वर्गफुट में)
1.	4 बालको जोन	10 नग (शा.भूमि पर)	20'x10'	रु. 87.11	05 वर्ष	अंकों में : शब्दों में :

मेरे द्वारा निर्धारित अमानत राशि रु. (शब्दों में)

..... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर क्र. एवं दिनांक

..... बैंक का नाम में नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) में जमा की गई है।

अतः मुझे बालको जोन में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने की अनुमति प्रदान करें। नगर पालिक निगम, कोरबा की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम -

पिता/पति का नाम -

स्थायी पता -

.....

मोबाईल नं.-

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

नगर पालिक निगम कोरबा, सीमांतर्गत विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु

निविदा प्रपत्र

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.)

निविदा फार्म शुल्क - 750/-

रसीद क्रमांक व दिनांक

विषय :- नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग्स) लगाने हेतु निविदा प्रपत्र बाबत।

नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत दरीं जोन में चिन्हांकित स्थलों में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाने हेतु निर्धारित शर्तों के तहत सहमत हूँ। निगम द्वारा निर्धारित शर्तों की जानकारी ली जाकर पढ़कर सोच-समझ कर निविदा (ऑफर) प्रपत्र प्रस्तुत है।

क्र.	जोन क्रमांक एवं नाम	विज्ञापन बोर्ड की संख्या	प्रतिबोर्ड साईज (वर्ग फुट)	निर्धारित दर (प्रति वर्गफुट)	अवधि	निविदा (ऑफर) राशि (प्रति वर्गफुट में)
1.	5 दरीं जोन	25 नग (शा.भूमि पर)	20'x10'	रु. 90.77	05 वर्ष	अंकों में : शब्दों में :

मेरे द्वारा निर्धारित अमानत राशि रु. (शब्दों में)
..... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर क्र.एवं दिनांक
..... बैंक का नाम में नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) में जमा की गई है।

अतः मुझे दरीं जोन में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने की अनुमति प्रदान करें। नगर पालिक निगम, कोरबा की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम -

पिता/पति का नाम -

स्थायी पता -

.....

मोबाईल नं.-

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

नगर पालिक निगम कोरबा, सीमांतर्गत विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु

निविदा प्रपत्र

प्रति,

आयुक्त,

नगर पालिक निगम, कोरबा

जिला-कोरबा (छ.ग.)

निविदा फार्म शुल्क - 750/-

रसीद क्रमांक व दिनांक

विषय :- नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग्स) लगाने हेतु निविदा प्रपत्र बाबत।

नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत बांकीमोंगरा जोन में चिन्हांकित स्थलों में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाने हेतु निर्धारित शर्तों के तहत सहमत हूँ। निगम द्वारा निर्धारित शर्तों की जानकारी ली जाकर पढ़कर सोच-समझ कर निविदा (ऑफर) प्रपत्र प्रस्तुत है।

क्र.	जोन क्रमांक एवं नाम	विज्ञापन बोर्ड की संख्या	प्रतिबोर्ड साईज (वर्ग फुट)	निर्धारित दर (प्रति वर्गफुट)	अवधि	निविदा (ऑफर) राशि (प्रति वर्गफुट में)
1.	6 बांकीमोंगरा जोन	18 नग (शा.भूमि पर)	20'X10'	रु. 52.71	05 वर्ष	अंकों में : शब्दों में :

मेरे द्वारा निर्धारित अमानत राशि रु. (शब्दों में)

..... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर क्र.एवं दिनांक

..... बैंक का नाम में नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) में जमा की गई है।

अतः मुझे बांकीमोंगरा जोन में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने की अनुमति प्रदान करें। नगर पालिक निगम, कोरबा की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम -

पिता/पति का नाम -

स्थायी पता -

.....

मोबाईल नं.-

सड़क किनारें भूमि पर विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने संबंधी निविदा की शर्त :-

1. भूमि पर/सड़क के किनारे लगाये जाने वाले होर्डिंग/ विज्ञापन बोर्ड हेतु प्रत्येक ग्रुप के लिये अमानत राशि आयुक्त नगर निगम कोरबा के नाम से बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर के रूप में जमा करना होगा। लिफाफे पर बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर का क्रमांक, राशि एवं दिनांक तथा जिस जोन के लिए जमा किया जा रहा है उसका क्रमांक लिखना अनिवार्य होगा।
2. भूमि पर/सड़क के किनारे लगाये जाने वाले होर्डिंग/ विज्ञापन बोर्ड हेतु एक ग्रुप के लिए जमा अमानत राशि में केवल एक ग्रुप हेतु निविदा दर दी जा सकती है। प्रत्येक ग्रुप हेतु पृथक-पृथक लिफाफे में निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से की जा सकती है।
3. निविदाकार को भूमि पर सड़क किनारे लगाए जाने वाले होर्डिंग हेतु प्रति वर्गफुट दर निविदा में भरना होगा। निविदाकर्ता का नाम किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
4. 20X10 (20 चौड़ाई एवं 10 फीट ऊंचाई) साईज के होर्डिंग्स/विज्ञापन बोर्ड हेतु उच्चतम दर प्रति वर्गफुट के आधार दर आमंत्रित की गई है। यदि विज्ञापन एजेंसी इससे बड़ा होर्डिंग्स लगाना चाहेंगे तो इसकी अनुमति आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा की स्वीकृति के पश्चात् ही दी जा सकेगी।
5. भूमि पर/सड़क के किनारे लगाये जाने वाले होर्डिंग्स/विज्ञापन बोर्ड का निचला हिस्सा सड़क से न्यूनतम 8 फीट उपर रखना होगा। होर्डिंग्स का उपरी हिस्सा सड़क से अधिकतम 18 फीट ऊंचा रखा जा सकेगा। इससे अधिक उचाई की होर्डिंग लगाने की स्वीकृति आयुक्त नगर निगम की अनुमति पश्चात् ही दी जा सकेगी।
6. यह कि निविदा में निर्धारित एक ग्रुप के अतिरिक्त अन्य ग्रुप का उल्लेख करने पर निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी अर्थात् प्रत्येक ग्रुप के लिए पृथक-पृथक लिफाफे में निविदा फार्म ही मान्य होगा। निविदा खोले जाने के समय स्वयं निविदाकर्ता अथवा उसका कोई एक प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेगा।
7. सीलबंद निविदाएं 03 लिफाफा पद्धति से देना होगा। अमानत राशि के रूप में जमा बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर एवं मूल निविदा प्रपत्र की सील बंद निविदायें 03 लिफाफा में देना होगा। उपरोक्त निविदा का निविदा प्रपत्र कार्यालय के वेबसाइट korbamunicipal.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है। लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि का बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर एवं निविदा प्रपत्र यदि वेबसाइट से डाउन लोड किया गया हो तो उसके मूल्य का बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर भरकर देना होगा। लिफाफा 'ब' में ठेकेदार का आनरशीप यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र, (पार्टनरशीप डीड) की सत्यप्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी, आय का प्रमाण पत्र/पैन नं./पंजीयन प्रमाण पत्र एवं केन्द्रीय आबकारी विभाग से जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र एवं निगम द्वारा जारी निविदा शर्तों को मान्य करते हुए उसकी एक प्रति जिसके प्रत्येक कंडिका में ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित निविदा शर्तों को भर कर देना होगा। लिफाफा 'स' में मूल निविदा प्रपत्र जिसमें दर अंकित हो भरकर देना होगा। लिफाफा 'अ' एवं 'ब' में निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर ही लिफाफा 'स' खोला जावेगा एवं निगम की काली सूची में दर्ज फर्म का भी लिफाफा नहीं खोला जावेगा। उपरोक्त तीनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में होगा तथा निविदा रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भरकर देना होगा।
8. भूमि पर/सड़क किनारें लगाए जाने वाले होर्डिंग के दाहिने कोने में ऊपर की ओर पीले रंग के एनामल पेंट की पृष्ठभूमि में 15X10 सेंटीमीटर आकार के बोर्ड में काले रंग से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले अक्षरों से विज्ञापन एजेंसी का नाम, बोर्ड का सरल क्रमांक तथा वैधता की तिथि स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा।
9. निविदा दर स्वीकृत होने के पश्चात् निविदाकार विज्ञापन एजेंसी द्वारा उस जोन में निविदा प्रपत्र में निर्धारित होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड की पूरी संख्या का पूर्ण किराया (वार्षिक) देना होगा। निर्धारित स्थल व निर्धारित संख्या से कम संख्या में होर्डिंग लगाने की स्थिति में वैकल्पिक स्थल का चयन किया जावेगा। वैकल्पिक स्थल उपलब्ध न होने पर नहीं लगाये गये होर्डिंग्स के किराये की राशि का समायोजन अगले वर्ष के किराये में किया जायेगा। निविदा दर स्वीकृत होने के 15 दिन के भीतर अनुबंध करना होगा तथा अनुबंध दिनांक से एक माह का समय होर्डिंग्स लगाने हेतु दी जावेगी। अनुबंध से एक माह पश्चात् या होर्डिंग्स लगाने से जो भी पहले हो से किराया प्रारम्भ माना जावेगा। निर्धारित संख्या से अधिक होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड बिना अनुमति के लगाये जाने पर अनुपातिक राशि का पांच गुना

- अतिरिक्त जमा करना होगा तथा उचित पाये जाने पर उस होर्डिंग की अनुमति दी जावेगी अथवा तत्काल उसे हटाना होगा।
10. किसी भी विभाग द्वारा लगाया जाने वाला समस्त कर निविदाकार विज्ञापन एजेन्सी के द्वारा देय होगा।
 11. सभी निविदा में दर पांच वर्ष के लिए आमत्रित की गई है। निविदा स्वीकार होने पर एक वर्ष का किराया शुल्क होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड हेतु निविदा में दी गई संख्या अनुसार स्वीकृति पत्र जारी होने के 15 दिवस के भीतर या अनुबंध के पूर्व नगर निगम में जमा करना होगा। आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारंभ होने के 2 माह पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेड करने का कार्यवाही की जाकेगी।
 12. विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाने हेतु अनुबंध पांच वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्त पश्चात स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 3 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जा सकेगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा न कराये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
 13. प्रत्येक ग्रुप में, भूमि पर/सड़क के किनारे होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड की संख्या एवं स्थान निर्धारित किया गया है एवं इनकी सूची निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। अन्य आवश्यक जानकारी व शर्तें कार्यालयीन समय में नगर राजस्व शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
 14. निविदा को अपरिहार्य कारणों से निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा का होगा।
 15. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर एक माह की सूचना पर आयुक्त नगर निगम द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
 16. किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में एक सप्ताह के भीतर संबंधित एजेन्सी आयुक्त नगर निगम कोरबा के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा एवं आयुक्त नगर निगम, कोरबा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
 17. भूमि पर/सड़क के किनारे लगाये जाने वाले होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड हेतु फाउन्डेसन डिजाइन एवं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की जवाबदारी संबंधित विज्ञापन एजेन्सी की होगी तथा लगाने के एक सप्ताह के भीतर संरचना इंजीनियर से स्टेबिलिटी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर नगर निगम में जमा करना होगा तथा प्रत्येक एक वर्ष पश्चात संरचना इंजीनियर से स्टेबिलिटी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर नगर निगम में जमा करना होगा।
 18. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु इकरारनामा 5 वर्ष तक के लिए होगी तथा अवधि पश्चात् दी गई अनुमति स्वमेव ही समाप्त हो जायेगी। अवधि समाप्त होने पर स्वयं के व्यय पर विज्ञापन बोर्ड हटाना होगा अन्यथा नगर निगम के द्वारा जप्त कर लिया जावेगा।
 19. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा लगाये गये होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड के कारण होने वाले प्राकृतिक एवं आकस्मिक तथा अन्य किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं हेतु विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी। इसमें होनी वाली जन-धन की हानि हेतु क्षतिपूर्ती संबंधित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा वहन की जावेगी तथा विज्ञापन एजेन्सी को इस आशय का शपथ-पत्र नगर निगम, निर्धारित प्रारूप में अनुबंध के पूर्व देना होगा।
 20. स्वच्छता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं जनहित में अथवा किसी प्रकार के न्यूसेन्स एवं विवाद की स्थिति में किसी भी होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड को बिना कारण बताये 48 घंटे की सूचना देकर आयुक्त नगर निगम कोरबा द्वारा हटवाया जा सकेगा एवं हटाये जाने का व्यय अथवा इस पर होनी वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ती हेतु संबंधित विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी। हटाये जाने वाले होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड का अनुपातिक किराया राशि स्वीकृत निविदा दर अनुसार वापिस कर दी जायेगी।
 21. यह कि निविदाकर्ता को शासन/नगर पालिक निगम, कोरबा की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
 22. धरोहर राशि का समायोजन अंतिम वर्ष के किराये में किया जावेगा।
 23. यह कि शासन एवं नगर निगम कोरबा द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित किया गया अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से विकृत/अश्लील/आपत्ति जनक लेख से संबंधित एवं अन्य किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक विज्ञापन, होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगे अन्यथा तत्काल बगैर



- सूचना के आयुक्त नगर निगम कोरबा द्वारा हटा दिये जायें तथा इसमें होनी वाली दण्ड, हानि, हटाने का व्यय एवं सभी प्रकार की क्षतिपूर्ती विज्ञापन एजेन्सी से वसूल किया जायेगा।
24. अनुबंध पश्चात होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु चयनित स्थल का प्रभारी अधिकारी द्वारा अवलोकन किया जायेगा एवं स्वीकृति उपरान्त ही होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड लगाया जा सकेगा।
 25. भुगतान संबंधी विवाद होने पर निगम द्वारा दर्शायी गई वसूली योग्य राशि पहले संबंधित एजेंसी को नगर निगम में जमा कराना होगा, तत्पश्चात् ही उनके पक्ष पर विचार किया जा सकेगा। निगम हित/जनहित में निगम आयुक्त सभी शर्तों को अथवा कोई भी शर्तों को शिथिल कर सकेंगे।
 26. यह कि अर्नेस्ट मनी (बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर) निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर वापस कर दी जायेगी एवं, जिस एजेंसी की निविदा स्वीकृत होगी उनका अर्नेस्ट मनी (बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर) निविदा अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी।
 27. सम्पूर्ण नगर निगम सीमान्तर्गत कोई भी नये प्रकार के विज्ञापन के लिए समस्त अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में कोई भी निविदाकार अथवा अन्य विज्ञापन एजेन्सी की किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
 28. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु शासन के किसी अन्य विभागों से अनापत्ति आवश्यक होने पर संबंधित विज्ञापन एजेन्सी को ही ऐसी अनापत्ति प्राप्त कर नगर निगम में जमा कराना होगा।
 29. विज्ञापन बोर्ड लगाते समय, निकालते समय एवं मरम्मत करते समय निगम की सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसकी सुरक्षा की समस्त जवाबदारी विज्ञापन एजेंसी की होगी एवं संबंधित से क्षतिपूर्ती राशि वसूल की जायेगी।
 30. होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड हेतु आवश्यकता अनुसार विद्युत कनेक्शन लेने की स्थिति में विज्ञापन एजेन्सी द्वारा स्वतः के व्यय पर विद्युत मण्डल से अनापत्ति प्राप्त करते हुए पृथक से मीटर लगवाना होगा जिसका मासिक बिल विज्ञापन एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा। ऐसे विद्युतिकृत होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड पूर्णतः सुरक्षित ढंग से विज्ञापन एजेन्सी द्वारा लगाये जायेंगे तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की दुर्घटना आदि होने पर समस्त जवाबदारी संबंधित विज्ञापन एजेन्सी की होगी। विज्ञापन एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रीशियन/हेल्पर एवं कुशल तथा अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति करना होगा।
 31. यातायात संबंधित नियमों एवं निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा तथा विज्ञापन कार्य हेतु यातायात विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
 32. होर्डिंग्स व उसकी संपूर्ण संरचना तथा उस पर विज्ञापित, प्रदर्शित सामग्री से किसी व्यक्ति, संस्था की संपत्ति, यातायात व सड़क के आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा, अवरोध दृष्टिबाधा तथा उससे किसी प्रकार के चककीला परावर्तन नहीं होना चाहिए। होर्डिंग्स में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक स्क्रीन वाली, चलायमान तत्व (Moving Articles) तथा शोर (Noise) उत्पन्न करने वाली सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
 33. होर्डिंग्स में प्रदर्शित विज्ञापन सामग्री किसी भी प्रकार से अशोभनीय, अश्लील, अशिष्ट सार्वजनिक नैतिकता के प्रतिकूल, सार्वजनिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली, अभद्र, अमंगलकारी तथा भ्रामक नहीं होनी चाहिए।
 34. होर्डिंग्स से किसी व्यक्ति/संस्था अथवा आम नागरिकों को किसी प्रकार के पर्यावरण के प्रतिकूल, शारिरिक अथवा मानसिक परेशानी नहीं होनी चाहिए। होर्डिंग्स में किसी भी प्रकार के नशे की सामग्री या उसके उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित विज्ञापन इत्यादि का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
 35. होर्डिंग्स में किसी भी संवैधानिक संस्थाओं, केन्द्र सरकार, राज्य शासन, उसके अधीन समस्त शासकीय उपक्रमों, शासकीय संस्थाओं तथा उनके समस्त पदाधिकारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विज्ञापन, फोटो, रेखाचित्र, कार्टून, वाक्य, शब्द, इत्यादि आपत्तिजनक या अपमानित करने वाला प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
 36. फर्म द्वारा होर्डिंग्स में केन्द्र सरकार व राज्य शासन द्वारा प्रतिबंधित किसी भी संगठन के प्रचार-प्रसार अथवा उनके द्वारा किसी कार्यक्रम के प्रयोजन-आयोजन से संबंधित कोई भी सूचना, विज्ञापन या प्रचारात्मक सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।




37. होर्डिंग्स में विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के लिए उपयोग में लाई जाने वाली समस्त सामग्रियों यथा फ्लेक्स, कपड़ा या अन्य कोई प्रयुक्त सामग्री पूर्ण गुणवत्ता की होनी चाहिए। ऐसी सभी सामग्रियां होर्डिंग्स की संरचना में व्यवस्थित रूप से लगी होनी चाहिए।
38. होर्डिंग्स में प्रदर्शित किसी भी आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के मौखिक अथवा लिखित निर्देश पर उसे 24 घण्टे में अनिवार्य रूप से हटाना होगा। ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री 24 घण्टे के अन्दर नहीं हटाए जाने पर आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को यह अधिकार होगा कि वह उसे हटा दे तथा इस पर होने वाला व्यय फर्म से विधि अनुरूप उसकी वसूली करें, आपत्तिजनक सामग्री हटाने के दौरान किसी भी क्षति या नुकसान के लिए नगर पालिक निगम, कोरबा जिम्मेदार नहीं होगा।
39. नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा निर्धारित स्थल पर होर्डिंग्स की संरचना स्थापित करते समय फर्म को स्थल के आस-पास संपूर्ण सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करना होगा, होर्डिंग्स की स्थापना से जुड़े समस्त कर्मचारियों, कुशल-अकुशल मजदूरों तथा आम जनता की कार्य के दौरान संपूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ताकि किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना न हो।
40. होर्डिंग्स की संपूर्ण संरचना का वर्षा ऋतु के उपरांत हर वर्ष (सितम्बर माह में) गहरे हरे रंग से पेंट करना होगा तथा नियमित रूप से इसकी संरचना के समस्त अवयवों तथा जोड़ (Joint), नट-बोल्ट्स, एंगल आयरन की सुरक्षात्मक जांच करना व रखरखाव करना अनिवार्य होगा।
41. एक बार होर्डिंग्स लग जाने के बाद होर्डिंग्स की संरचना का विज्ञापन प्रदर्शित वाला क्षेत्र सामग्री/फ्लेक्स रहित (Uncovered) नहीं होना चाहिए, बिना विज्ञापन की अवधि के दौरान अथवा तेज हवा-बरसात या अन्य किन्हीं कारणों से कटे-फटे फ्लेक्स/प्रदर्शित सामग्री इत्यादि को तत्काल बदलना होगा ताकि होर्डिंग्स गंदा या भद्दा (Indecent) न दिखें।
42. होर्डिंग्स में प्रदर्शित सामग्री यदि किसी प्रकार से होर्डिंग्स से अलग होती है अथवा हवा में लहराने लगे या खतरनाक स्थिति में हो तो इसे तत्काल ठीक करना होगा, फर्म का यह दायित्व होगा कि वह होर्डिंग्स का नियमित रूप से निरीक्षण करें ताकि किसी भी संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकें।
43. फर्म को अनुबंध अवधि के उपरांत होर्डिंग हटाने समय भवन तथा भूमि को पूर्वत ही संरक्षित, साफ अथवा मरम्मत करना होगा जैसा कि वह होर्डिंग लगाने के पूर्व थी, होर्डिंग हटाने के बाद स्थल में किसी भी प्रकार की अवशेष व कचरा इत्यादि नहीं रखना चाहिए।
44. एजेंसी को होर्डिंग्स की पूरी अवधि के लिए संपूर्ण बीमा करना अनिवार्य होगा बीमा के उपरांत उसकी एक प्रति कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा के आयुक्त द्वारा होर्डिंग लगाने की लिखित अनुमति दिए जाने के 30 दिनों में प्रस्तुत करना होगी।
45. होर्डिंग्स की स्थापना से उसके लगे रहने की संपूर्ण अवधि तक किसी भी जान-माल अथवा अन्य किसी भी प्रकार की हानि/क्षति के लिए एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी, किसी भी नुकसान, हानि, क्षति की संपूर्ण भरपाई एजेंसी द्वारा ही की जायेगी।
46. नगर पालिक निगम, कोरबा से किसी भी प्रकार से किसी भी क्षति और हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ना ही उससे ऐसी किसी क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकेगी तथा किसी भी न्यायालय या अन्य के समक्ष नगर पालिक निगम, कोरबा के समक्ष नगर निगम, कोरबा के विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।
47. होर्डिंग्स में यदि प्रकाश व्यवस्था किया जाना हो तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के निर्धारित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा विद्युत कनेक्शन लेने हेतु नगर निगम कोरबा द्वारा अनापूर्ति पत्र जारी किया जाएगा, होर्डिंग्स हेतु विद्युत कनेक्शन लेने तथा नियमित रूप से भुगतान से संबंधित समस्त व्यय फर्म द्वारा स्वयं किया जाएगा।
48. आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा की लिखित अनुमति के बिना स्थापित किया गया होर्डिंग पूर्ण रूप से अवैध होगा तथा नगर निगम कोरबा द्वारा जप्त कर राजसात कर लिया जाएगा।
49. फर्म को किराए पर दिए होर्डिंग्स स्थल की संख्या में से 10 (दस) प्रतिशत होर्डिंग्स योजना स्थल पर या नगर के किसी स्थल पर आयुक्त, नगर निगम, कोरबा के निर्देशानुसार एवं अनुमोदन के अनुसार प्रचार-प्रसार सामग्री लगानी होगी, फर्म को संयुक्त रूप से सीमित अवधि के लिए एक बार में अधिकतम एक माह के लिए तथा एक साल में अधिकतम तीन माह की अवधि के लिए स्वयं के व्यय से फ्लेक्स बनाकर अनुमोदित कर प्रदर्शित करना होगा।

50. एजेन्सी को होर्डिंग्स के स्थल आबंटन की अनुमति एवं अवैधता संबंधी अद्यतन खाता (समस्त रिकार्ड) रखना अनिवार्य होगा नगर नियम कोरबा द्वारा मांगे जाने पर यह रिकार्ड आयुक्त नगर पालिक निगम अथवा उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि के समक्ष संपूर्ण जांच (स्थल सहित) के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
51. होर्डिंग स्थल किराए पर देने के किसी भी नियम का उल्लंघन की सूचना देने पर फर्म को अधिकतम 10 दिनों के अन्दर होर्डिंग व उसकी संरचना को अनिवार्य रूप से हटाना होगा।
52. नगर पालिक निगम, कोरबा को यह अधिकार होगा कि वह अपनी आवश्यकता होने पर अथवा ऐसे ही किसी यथोचित स्थिति व दशा में बिना बताए होर्डिंग की अनुमति को निरस्त कर दे ऐसी स्थिति में एजेन्सी को होर्डिंग तथा उसकी संरचना को 10 दिनों के अन्दर हटाना होगा नगर निगम कोरबा की आवश्यकता एवं स्वयं की किसी विशेष परिस्थिति में होर्डिंग्स हटाए जाने के निर्णय पर हटाए जाने वाले होर्डिंग के उपयोग की अवधि को छोड़कर शेष राशि बिना ब्याज राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।
53. नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा किसी भी कारण से किसी भी समय होर्डिंग हटाए जाने का आदेश दिए जाने पर किसी प्रकार का कोई मुआवजा/क्षतिपूर्ति अथवा व्यय की पूर्ति एजेन्सी को नहीं की जाएगी, चाहे होर्डिंग लगाने की लिखित अनुमति ही क्यों न प्रदान कर दी गई हो।
54. नगर निगम, कोरबा की बिना लिखित अनुमति के लगाए गए होर्डिंग नगर निगम कोरबा द्वारा जप्त कर राजसात कर लिया जाएगा तथा आवश्यक कानूनी कारवाई की जाएगी।
55. एजेन्सी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा नगर पालिक निगम के लागू व प्रचलित तथा समय-समय पर लागू किए जाने वाले नियमों, अधिनियमों, आदेश, निर्णय, संकल्पों का पालन करना होगा तथा भविष्य में लागू/अधिरोपित किए जाने वाले शुल्क, सरचार्ज इत्यादि का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।
56. नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर कोरबा नगर पालिक निगम द्वारा कारण बताओं सूचना जारी किया जाएगा, जिसका एजेन्सी को 3 कार्य दिवसों में कारण का उल्लंघन माना जाएगा, इसके लिए आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा निम्न कार्यवाही की जाएगी :-
- (अ) पहली बार नियम उल्लंघन पर रु. 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
- (ब) दुसरी बार नियम उल्लंघन पर रु. 20,000/- अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।
- (स) तीसरी बार नियम उल्लंघन पर रु. 30,000/- अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।
57. चौथी बार नियम का उल्लघन किए जाने पर संबंधित एजेन्सी को दी गई होर्डिंग स्थल आबंटन की अनुमति पूर्ण रूप से निरस्त कर दी जायेगी, फलस्वरूप एजेन्सी का 10 दिनों के अन्दर होर्डिंग की संपूर्ण संरचना को स्थल से हटाना।
58. एजेन्सी द्वारा नियम एवं शर्तों का उल्लघन किए जाने की स्थिति में होर्डिंग्स व सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी तथा बकाया राशि भू-राजस्व की तरह वसूल की जायेगी।
59. कोरबा जोन, परिवहन नगर जोन, बालको जोन, दर्री जोन एवं बांकीमोंगरा जोन के लिए आवेदन फार्म प्राप्त कर धरोहर राशि जमा करना होगा। कोरबा जोन के लिए रु. 24,000/-, परिवहन नगर जोन 14,400/-, बालको जोन के लिए रु. 12,000/-, दर्री जोन के लिए रु. 30,000/- एवं बांकीमोंगरा जोन के लिए रु. 21,600/- निर्धारित है। जिसमें उच्चतम निविदाकर्ता को छोड़कर शेष निविदाकर्ताओं की राशि वापसी योग्य होगी।
60. विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स हेतु कोरबा जोन हेतु रु. 93.70 प्रति वर्गफुट, परिवहन नगर जाने हेतु रु. 171.38 प्रति वर्गफुट, बालको जोन हेतु रु. 87.11 प्रति वर्गफुट, दर्री जोन हेतु रु. 90.77 प्रति वर्गफुट, बांकीमोंगरा जोन हेतु रु. 52.71 प्रति वर्गफुट से उच्चतम रहेगा। होर्डिंग्स की साईज के अनुसार वार्षिक किराया देय होगा। यदि विज्ञापन एजेन्सी इससे बड़ा होर्डिंग्स लगाना चाहेंगे तो इसकी अनुमति आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा की स्वीकृति के पश्चात ही लगाया जा सकेगा।



61. छ.ग. शासन नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना दिनांक 07.08.2012 क्रमांक एफ 5-13/18/2011 छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 432 (अ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा राज्य में नगर पालिक निगम, कोरबा के द्वारा विज्ञापन व्यवसाय/सेवा के विनियमन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 427 की उपधारा (23) के अंतर्गत आदर्श उपविधि अनुसार नगर पालिक निगम कोरबा में अंगीकृत की गई है।
62. उच्चतम निविदाकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ शासन नगर प्रशासन एवं विकास की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-13/18/2011 दिनांक 07.08.2012 के अधीन निर्धारित प्रारूप में वचन बद्ध निष्पादन के उपरांत एवं अनुबंध के पश्चात ही विज्ञापन बोर्ड लगाया जावेगा। अनुबंध दिनांक से किराया एवं विज्ञापन अनुज्ञप्ति शुल्क प्रभावशील होगा।
63. उच्चतम निविदाकर्ता एजेंसी को 10 प्रतिशत विज्ञापन बोर्ड आवश्यकता होने पर निगम के लिए आरक्षित रखना होगा। इसके अतिरिक्त निगम अपनी/शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु निगम क्षेत्र में कहीं पर भी होर्डिंग्स आदि लगा सकेगा।
64. निजी भूमि/निजी भवन हेतु वार्षिक शुल्क उक्त जोन में स्वीकृत उच्चतम निविदा दर के अनुसार 50 प्रतिशत के मान से लगेगा।
65. किसी भी न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायाधिकार क्षेत्र कोरबा (छ.ग.) के अधीन होगा।



होर्डिंग्स अधीक्षक
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

कोरबा जोन क. - 01

क्र.	समूह स्थल का नाम	स्थान (भूमि पर)होर्डिंग्स लगाने की संख्या
1.	टी.पी. नगर चौक रेल्वे फाटक से मरिजद के पास रेल्वे लाईन किनारे	- 03 नग
2.	मामाजी बेकर्स के सामने रेल्वे लाईन के किनारे	- 02 नग
3.	गरीब पोल्ट्री फार्म के पीछे रेल्वे लाईन के किनारे	- 03 नग
4.	शारदा विहार मोड़ रेल्वे लाईन के किनारे	- 02 नग
5.	सुनालिया होटल के सामने मोड़ पर	- 02 नग
6.	सरस्वती शिशु मंदिर के सामने	- 01 नग
7.	सीतामणी चौक समीप दुर्गा साँ मिल सड़क किनारे	- 01 नग
8.	संजय नगर मोहल्ला के सामने रेल्वे क्रासिंग के बाद नहर किनारे	- 01 नग
9.	सुनालिया रोड रेल्वे क्रासिंग पहले नहर किनारे	- 01 नग
10.	नहर रोड सामने देशी शराब दुकान के सामने	- 01 नग
11.	सर्वमंगला रोड फोकट पारा मोड़ पर	- 01 नग
12.	सर्वमंगला रोड पुल से पहले	- 02 नग
कुल		- 20 नग

परिवहन नगर जोन क. - 02

क्र.	समूह स्थल का नाम	स्थान (भूमि पर)होर्डिंग्स लगाने की संख्या
1.	सी.एस.ई.बी. पुलिस चौकी निकट	- 01 नग
2.	सी.एस.ई.बी. यातायता पुलिस ड्यूटी स्थल पीछे	- 01 नग
3.	सी.एस.ई.बी. हाई मास्टर लाईट पीछे (मूर्तिबाधा छोड़कर	- 02 नग
4.	टी.पी. नगर चौक आटो स्टैण्ड निकट वाल किनारे	- 02 नग
5.	कामर्शियल काम्प्लेक्स ब्लू डायमण्ड होटल रोड सामने इन्डीकेशन पोल निकट	- 02 नग
6.	शारदा विहार एचडीएफसी बैंक के सामने क्रासिंग पूर्व मोड़	- 02 नग
7.	सुनालिया चौक सड़क किनारे नहर एवं डीडीएम रोड वर्तमान गुप्ता एण्ड) प्रथम में बांयी तरफ	- 02 नग
कुल		- 12 नग


 होर्डिंग्स अधीक्षक
 होर्डिंग्स शाखा


नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

बालको जोन क. - 04

क्र.	समूह स्थल का नाम	स्थान (भूमि पर)होर्डिंग्स लगाने की संख्या
1.	रेल्वे क्रॉसिंग चेक पोस्ट से सटे यात्री प्रतीक्षालय किनारे से	— 01 नग
2.	सिविक सेन्टर के समीप	— 02 नग
3.	परसाभाठा बाजार के पेट्रोल पंप के सामने	— 02 नग
4.	परसाभाठा पुराना बेरियल (बालको गेट) के पास	— 03 नग
5.	बालको थाना के सामने	— 02 नग
कुल		— 10 नग

दर्री जोन क. - 05

क्र.	समूह स्थल का नाम	स्थान (भूमि पर)होर्डिंग्स लगाने की संख्या
1.	200 मेगावाट प्लांट के सामने से दर्री रोड की ओर	— 04 नग
2.	कोहडिया मोड़	— 02 नग
3.	दर्री डेम मोड़ के समीप	— 03 नग
4.	दर्री डेम मोड़ तिराहे पर सड़क नदी बाउण्ड्री किनारे	— 01 नग
5.	दर्री मस्जिद के समीप	— 01 नग
6.	दर्री अंग्रेजी शराब दुकान किनारे व समीप	— 02 नग
7.	दर्री थाना के सामने व मोड़ पर	— 01 नग
8.	दर्री साप्ताहिक हाट-बाजार मोड़ पर	— 04 नग
9.	दर्री नगर निगम जो कार्यालय निकट सड़क मोड़ पूर्व	— 01 नग
10.	पेट्रोल पम्प के पहले एवं दूसरे पेट्रोल पम्प के सामने	— 02 नग
11.	जमनीपाली गेट के सामने	— 04 नग
कुल		— 25 नग


होर्डिंग्स अधीक्षक
होर्डिंग्स शाखा
नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

बांकीमोंगरा जोन क. - 06

क्र.	समूह स्थल का नाम	स्थान (भूमि पर)होर्डिंग्स लगाने की संख्या
1.	सर्वमंगला रोड पुल के पहले गार्डन के सामने	- 02 नग
2.	सर्वमंगला चौक कोरबा फेसिंग नहर बाउण्ड्रीवाल के किनारे	- 06 नग
3.	सर्वमंगला रोड नहर साइफन के किनारे	- 01 नग
2.	बरमपुर चौक पर	- 01 नग
3.	पुराना नाका चौकी समीप	- 01 नग
4.	कुसमुण्डा रोड पेट्रोल पम्प के समीप	- 02 नग
5.	विकास नगर चौक	- 03 नग
6.	बांकीमोंगरा बाजार एवं स्कूल समीप सामुदायिक केन्द्र के सड़क किनारे	- 02 नग
	कुल	- 18 नग



होर्डिंग्स अधीक्षक
होर्डिंग्स शाखा
नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

नगर पालिक निगम कोरबा, सीमांतर्गत विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु

निविदा प्रपत्र

प्रति,

आयुक्त,

नगर पालिक निगम, कोरबा

जिला-कोरबा (छ.ग.)

निविदा फार्म शुल्क - 750/-

रसीद क्रमांक व दिनांक

विषय :- नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग्स) लगाने हेतु निविदा प्रपत्र बाबत।

नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत कोरबा जोन में चिन्हांकित स्थलों में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाने हेतु निर्धारित शर्तों के तहत सहमत हूँ। निगम द्वारा निर्धारित शर्तों की जानकारी ली जाकर पढ़कर सोच-समझ कर निविदा (ऑफर) प्रपत्र प्रस्तुत है।

क्र.	जोन क्रमांक एवं नाम	विज्ञापन बोर्ड की संख्या	प्रतिबोर्ड साईज (वर्ग फुट)	निर्धारित दर (प्रति वर्गफुट)	अवधि	निविदा (ऑफर) राशि (प्रति वर्गफुट में)
1.	1 कोरबा जोन	02 नग (शा.भवन के छत पर)	20'x10'	रु. 122.98	05 वर्ष	अंकों में : शब्दों में :

मेरे द्वारा निर्धारित अमानत राशि रु. (शब्दों में)

..... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर क्र.एवं दिनांक

..... बैंक का नाम में नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) में जमा की गई है।

अतः मुझे कोरबा जोन में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने की अनुमति प्रदान करें। नगर पालिक निगम, कोरबा की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम -

पिता/पति का नाम -

स्थायी पता -

.....

मोबाईल नं.-.....

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

नगर पालिक निगम कोरबा, सीमांतर्गत विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु

निविदा प्रपत्र

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.)

निविदा फार्म शुल्क - 750/-

रसीद क्रमांक व दिनांक

विषय :- नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग्स) लगाने हेतु निविदा प्रपत्र बाबत।

नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत परिवहन नगर जोन में चिन्हांकित स्थलों में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाने हेतु निर्धारित शर्तों के तहत सहमत हूँ। निगम द्वारा निर्धारित शर्तों की जानकारी ली जाकर पढ़कर सोच-समझ कर निविदा (ऑफर) प्रपत्र प्रस्तुत है।

क्र.	जोन क्रमांक एवं नाम	विज्ञापन बोर्ड की संख्या	प्रतिबोर्ड साईज (वर्ग फुट)	निर्धारित दर (प्रति वर्गफुट)	अवधि	निविदा (ऑफर) राशि (प्रति वर्गफुट में)
1.	2 परिवहन नगर जोन	04 नग (शा.भवन के छत पर)	20'x10'	रु. 184.48	05 वर्ष	अंकों में : शब्दों में :

मेरे द्वारा निर्धारित अमानत राशि रु. (शब्दों में)
..... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर क्र.एवं दिनांक
..... बैंक का नाम में नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) में
जमा की गई है।

अतः मुझे परिवहन नगर जोन में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने की अनुमति प्रदान करें। नगर पालिक निगम, कोरबा की सभी शर्तें मुझे मान्य है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम -

पिता/पति का नाम -

स्थायी पता -

.....

मोबाईल नं.-

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

नगर पालिक निगम कोरबा, सीमांतर्गत विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु

निविदा प्रपत्र

प्रति,

आयुक्त,

नगर पालिक निगम, कोरबा

जिला-कोरबा (छ.ग.)

निविदा फार्म शुल्क - 750/-

रसीद क्रमांक व दिनांक

विषय :- नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग्स) लगाने हेतु निविदा प्रपत्र बाबत।

नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत कोसाबाडी जोन में चिन्हांकित स्थलों में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाने हेतु निर्धारित शर्तों के तहत सहमत हूँ। निगम द्वारा निर्धारित शर्तों की जानकारी ली जाकर पढ़कर सोच-समझ कर निविदा (ऑफर) प्रपत्र प्रस्तुत है।

क्र.	जोन क्रमांक एवं नाम	विज्ञापन बोर्ड की संख्या	प्रतिबोर्ड साईज (वर्ग फुट)	निर्धारित दर (प्रति वर्गफुट)	अवधि	निविदा (ऑफर) राशि (प्रति वर्गफुट में)
1.	3 कोसाबाडी जोन	07 नग (शा.भवन के छत पर)	20'X10'	रु. 140.55	05 वर्ष	अंकों में : शब्दों में :

मेरे द्वारा निर्धारित अमानत राशि रु. (शब्दों में)

..... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर क्र.एवं दिनांक

..... बैंक का नाम में नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) में जमा की गई है।

अतः मुझे कोसाबाडी जोन में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने की अनुमति प्रदान करें। नगर पालिक निगम, कोरबा की सभी शर्तें मुझे मान्य है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम -

पिता/पति का नाम -

स्थायी पता -

.....

मोबाईल नं.-.....

शा.भवन के छत पर विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने संबंधी निविदा की शर्त :-

1. शासकीय भवन के छत पर लगाये जाने वाले होर्डिंग/ विज्ञापन बोर्ड हेतु प्रत्येक ग्रुप के लिये अमानत राशि आयुक्त नगर निगम कोरबा के नाम से बैकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर के रूप में जमा करना होगा। लिफाफे पर बैकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर का क्रमांक, राशि एवं दिनांक तथा जिस जोन के लिए जमा किया जा रहा है उसका क्रमांक लिखना अनिवार्य होगा।
2. शासकीय भवन के छत पर लगाये जाने वाले होर्डिंग/ विज्ञापन बोर्ड हेतु एक ग्रुप के लिए जमा अमानत राशि में केवल एक ग्रुप हेतु निविदा दर दी जा सकती है। प्रत्येक ग्रुप हेतु पृथक-पृथक लिफाफे में निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से की जा सकती है।
3. निविदाकार को शासकीय भवन के छत पर लगाए जाने वाले होर्डिंग हेतु प्रति वर्गफुट दर निविदा में भरना होगा। निविदाकर्ता का नाम किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
4. 20X10 (20 चौड़ाई एवं 10 फीट ऊंचाई) साईज के होर्डिंग्स/विज्ञापन बोर्ड हेतु उच्चतम दर प्रति वर्गफुट के आधार दर आमंत्रित की गई है। यदि विज्ञापन एजेंसी इससे बड़ा होर्डिंग्स लगाना चाहेंगे तो इसकी अनुमति आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा की स्वीकृति के पश्चात् ही दी जा सकेगी।
5. यह कि निविदा में निर्धारित एक ग्रुप के अतिरिक्त अन्य ग्रुप का उल्लेख करने पर निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी अर्थात् प्रत्येक ग्रुप के लिए पृथक-पृथक लिफाफे में निविदा फार्म ही मान्य होगा। निविदा खोले जाने के समय स्वयं निविदाकर्ता अथवा उसका कोई एक प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेगा।
6. सीलबंद निविदाएं 03 लिफाफा पद्धति से देना होगा। अमानत राशि के रूप में जमा बैकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर एवं मूल निविदा प्रपत्र की सील बंद निविदायें 03 लिफाफा में देना होगा। उपरोक्त निविदा का निविदा प्रपत्र कार्यालय के वेबसाइट korbamunicipal.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है। लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि का बैकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर एवं निविदा प्रपत्र यदि वेबसाइट से डाउन लोड किया गया हो तो उसके मूल्य का बैकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर चेक भरकर देना होगा। लिफाफा 'ब' में ठेकेदार का आनरशीप यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र, (पार्टनरशीप डीड) की सत्यप्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी, आय का प्रमाण पत्र/पैन नं./पंजीयन प्रमाण पत्र एवं केन्द्रीय आबकारी विभाग से जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र एवं निगम द्वारा जारी निविदा शर्तों को मान्य करते हुए उसकी एक प्रति जिसके प्रत्येक कॉडिका में ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित निविदा शर्तों को भर कर देना होगा। लिफाफा 'स' में मूल निविदा प्रपत्र जिसमें दर अंकित हो भरकर देना होगा। लिफाफा 'अ' एवं 'ब' में निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर ही लिफाफा 'स' खोला जावेगा एवं निगम की काली सूची में दर्ज फर्म का भी लिफाफा नहीं खोला जावेगा। उपरोक्त तीनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में होगा तथा निविदा रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भरकर देना होगा।
7. शासकीय भवन के छत पर लगाए जाने वाले होर्डिंग के दाहिने कोने में ऊपर की ओर पीले रंग के एनामल पेंट की पृष्ठभूमि में 15X10 सेंटीमीटर आकार के बोर्ड में काले रंग से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले अक्षरों से विज्ञापन एजेंसी का नाम, बोर्ड का सरल क्रमांक तथा वैधता की तिथि स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा।
8. निविदा दर स्वीकृत होने के पश्चात् निविदाकार विज्ञापन एजेंसी द्वारा उस जोन में निविदा प्रपत्र में निर्धारित होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड की पूरी संख्या का पूर्ण किराया (वार्षिक) देना होगा। निर्धारित स्थल व निर्धारित संख्या से कम संख्या में होर्डिंग लगाने की स्थिति में वैकल्पिक स्थल का चयन किया जावेगा। वैकल्पिक स्थल उपलब्ध न होने पर नहीं लगाये गये होर्डिंग्स के किराये की राशि का समायोजन अगले वर्ष के किराये में किया जायेगा। निविदा दर स्वीकृत होने के 15 दिन के भीतर अनुबंध करना होगा तथा अनुबंध दिनांक से एक माह का समय होर्डिंग्स लगाने हेतु दी जावेगी। अनुबंध से एक माह पश्चात् किराया प्रारम्भ माना जावेगा। निर्धारित संख्या से अधिक होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड बिना अनुमति के लगाये जाने पर अनुपातिक राशि का पांच गुना अतिरिक्त जमा करना होगा तथा उचित पाये जाने पर उस होर्डिंग की अनुमति दी जावेगी अथवा तत्काल उसे हटाना होगा।
9. किसी भी विभाग द्वारा लगाया जाने वाला समस्त कर निविदाकार विज्ञापन एजेंसी के द्वारा देय होगा।

10. सभी निविदा में दर पांच वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है। निविदा स्वीकार होने पर एक वर्ष का किराया शुल्क होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड हेतु निविदा में दी गई संख्या अनुसार अनुबंध के पूर्व नगर निगम में जमा करना होगा जिसमें दर स्वीकृति के 15 दिवस के भीतर 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य है, शेष राशि दर स्वीकृति के 01 माह पूर्व या अनुबंध के पूर्व जो भी पहले हो जमा करना होगा। आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारंभ होने के 2 माह पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने का कार्यवाही की जाकेगी।
11. विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाने हेतु अनुबंध पांच वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 3 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायेगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा न कराये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
12. प्रत्येक ग्रुप में, शासकीय भवन के छत पर होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड की संख्या एवं स्थान निर्धारित किया गया है एवं इनकी सूची निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। अन्य आवश्यक जानकारी व शर्तें कार्यालयीन समय में नगर राजस्व शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
13. निविदा को अपरिहार्य कारणों से निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा का होगा।
14. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर एक माह की सूचना पर आयुक्त नगर निगम द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
15. किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में एक सप्ताह के भीतर संबंधित एजेन्सी आयुक्त नगर निगम कोरबा के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा एवं आयुक्त नगर निगम, कोरबा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
16. शासकीय भवन के छत पर लगाये जाने वाले होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड हेतु फाउन्डेसन डिजाइन एवं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की जवाबदारी संबंधित विज्ञापन एजेन्सी की होगी तथा लगाने के एक सप्ताह के भीतर संरचना इंजीनियर से स्टेबिलिटी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर नगर निगम में जमा करना होगा तथा प्रत्येक एक वर्ष पश्चात संरचना इंजीनियर से स्टेबिलिटी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर नगर निगम में जमा करना होगा।
17. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु इकरारनामा 5 वर्ष तक के लिए होगी तथा अवधि पश्चात् दी गई अनुमति स्वमेव ही समाप्त हो जायेगी। अवधि समाप्त होने पर स्वयं के व्यय पर विज्ञापन बोर्ड हटाना होगा अन्यथा नगर निगम के द्वारा जप्त कर लिया जावेगा।
18. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा लगाये गये होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड के कारण होने वाले प्राकृतिक एवं आकस्मिक तथा अन्य किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओ हेतु विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी। इसमें होनी वाली जन-धन की हानि हेतु क्षतिपूर्ती संबंधित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा वहन की जावेगी तथा विज्ञापन एजेन्सी को इस आशय का शपथ-पत्र नगर निगम, निर्धारित प्रारूप में अनुबंध के पूर्व देना होगा।
19. स्वच्छता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं जनहित में अथवा किसी प्रकार के न्यूसेन्स एवं विवाद की स्थिति में किसी भी होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड को बिना कारण बताये 48 घंटे की सूचना देकर आयुक्त नगर निगम कोरबा द्वारा हटवाया जा सकेगा एवं हटाये जाने का व्यय अथवा इस पर होनी वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ती हेतु संबंधित विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी। हटाये जाने वाले होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड का अनुपातिक किराया राशि स्वीकृत निविदा दर अनुसार वापिस कर दी जायेगी।
20. यह कि निविदाकर्ता को शासन/नगर पालिक निगम, कोरबा की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
21. धरोहर राशि का समायोजन अंतिम वर्ष के किराये में किया जावेगा।
22. यह कि शासन एवं नगर निगम कोरबा द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित किया गया अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से विकृत/अश्लील/आपत्ति जनक लेख से संबंधित एवं अन्य किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक विज्ञापन, होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा अन्यथा तत्काल बगैर सूचना के आयुक्त नगर निगम कोरबा द्वारा हटा दिये जायेंगे तथा इसमें होनी वाली दण्ड, हानि, हटाने का व्यय एवं सभी प्रकार की क्षतिपूर्ती विज्ञापन एजेन्सी से वसूल किया जायेगा।

23. अनुबंध पश्चात होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु चयनित स्थल का प्रभारी अधिकारी द्वारा अवलोकन किया जायेगा एवं स्वीकृति उपरान्त ही होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड लगाया जा सकेगा।
24. भुगतान संबंधी विवाद होने पर निगम द्वारा दर्शायी गई वसूली योग्य राशि पहले संबंधित एजेंसी को नगर निगम में जमा कराना होगा, तत्पश्चात् ही उनके पक्ष पर विचार किया जा सकेगा। निगम हित/जनहित में निगम आयुक्त सभी शर्तों को अथवा कोई भी शर्तों को शिथिल कर सकेंगे।
25. यह कि अर्नेस्ट मनी (बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर) निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेंसी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर वापस कर दी जायेगी एवं, जिस एजेंसी की निविदा स्वीकृत होगी उनका अर्नेस्ट मनी (बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर) निविदा अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी।
26. सम्पूर्ण नगर निगम सीमान्तर्गत कोई भी नये प्रकार के विज्ञापन के लिए समस्त अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में कोई भी निविदाकार अथवा अन्य विज्ञापन एजेंसी की किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
27. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु शासन के किसी अन्य विभागों से अनापत्ति आवश्यक होने पर संबंधित विज्ञापन एजेंसी को ही ऐसी अनापत्ति प्राप्त कर नगर निगम में जमा कराना होगा।
28. विज्ञापन बोर्ड लगाते समय, निकालते समय एवं मरम्मत करते समय निगम की सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसकी सुरक्षा की समस्त जवाबदारी विज्ञापन एजेंसी की होगी एवं संबंधित से क्षतिपूर्ती राशि वसूल की जायेगी।
29. होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड हेतु आवश्यकता अनुसार विद्युत कनेक्शन लेने की स्थिति में विज्ञापन एजेंसी द्वारा स्वतः के व्यय पर विद्युत मण्डल से अनापत्ति प्राप्त करते हुए पृथक से मीटर लगवाना होगा जिसका मासिक बिल विज्ञापन एजेंसी द्वारा दिया जायेगा। ऐसे विद्युतिकृत होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड पूर्णतः सुरक्षित ढंग से विज्ञापन एजेंसी द्वारा लगाये जायेगे तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की दुर्घटना आदि होने पर समस्त जवाबदारी संबंधित विज्ञापन एजेंसी की होगी। विज्ञापन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रीशियन/हेल्पर एवं कुशल तथा अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति करना होगा।
30. यातायात संबंधित नियमों एवं निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा तथा विज्ञापन कार्य हेतु यातायात विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
31. होर्डिंग्स व उसकी संपूर्ण संरचना तथा उस पर विज्ञापित, प्रदर्शित सामग्री से किसी व्यक्ति, संस्था की संपत्ति, यातायात व सड़क के आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा, अवरोध दृष्टिबाधा तथा उससे किसी प्रकार के चककीला परावर्तन नहीं होना चाहिए। होर्डिंग्स में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक स्क्रीन वाली, चलायमान तत्व (Moving Articles) तथा शोर (Noise) उत्पन्न करने वाली सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
32. होर्डिंग्स में प्रदर्शित विज्ञापन सामग्री किसी भी प्रकार से अशोभनीय, अश्लील, अशिष्ट सार्वजनिक नैतिकता के प्रतिकूल, सार्वजनिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली, अभद्र, अमंगलकारी तथा भ्रामक नहीं होनी चाहिए।
33. होर्डिंग्स से किसी व्यक्ति/संस्था अथवा आम नागरिकों को किसी प्रकार के पर्यावरण के प्रतिकूल, शारिरिक अथवा मानसिक परेशानी नहीं होनी चाहिए। होर्डिंग्स में किसी भी प्रकार के नशे की सामग्री या उसके उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित विज्ञापन इत्यादि का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
34. होर्डिंग्स में किसी भी संवैधानिक संस्थाओं, केन्द्र सरकार, राज्य शासन, उसके अधीन समस्त शासकीय उपक्रमों, शासकीय संस्थाओं तथा उनके समस्त पदाधिकारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विज्ञापन, फोटो, रेखाचित्र, कार्टून, वाक्य, शब्द, इत्यादि आपत्तिजनक या अपमानित करने वाला प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
35. फर्म द्वारा होर्डिंग्स में केन्द्र सरकार व राज्य शासन द्वारा प्रतिबंधित किसी भी संगठन के प्रचार-प्रसार अथवा उनके द्वारा किसी कार्यक्रम के प्रयोजन-आयोजन से संबंधित कोई भी सूचना, विज्ञापन या प्रचारात्मक सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
36. होर्डिंग्स में विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के लिए उपयोग में लाई जाने वाली समस्त सामग्रियों यथा फ्लेक्स, कपड़ा या अन्य कोई प्रयुक्त सामग्री पूर्ण गुणवत्ता की होगी चाहिए। ऐसी सभी सामग्रियां होर्डिंग्स की संरचना में व्यवस्थित रूप से लगी होनी चाहिए।

37. होर्डिंग्स में प्रदर्शित किसी भी आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के मौखिक अथवा लिखित निर्देश पर उसे 24 घण्टे में अनिवार्य रूप से हटाना होगा। ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री 24 घण्टे के अन्दर नहीं हटाए जाने पर आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की यह अधिकार होगा कि वह उसे हटा दे तथा इस पर होने वाला व्यय फर्म से विधि अनुरूप उसकी वसूली करें, आपत्तिजनक सामग्री हटाने के दौरान किसी भी क्षति या नुकसान के लिए नगर पालिक निगम, कोरबा जिम्मेदार नहीं होगा।
38. नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा निर्धारित स्थल पर होर्डिंग्स की संरचना स्थापित करते समय फर्म को स्थल के आस-पास संपूर्ण सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करना होगा, होर्डिंग्स की स्थापना से जुड़े समस्त कर्मचारियों, कुशल-अकुशल मजदूरों तथा आम जनता की कार्य के दौरान संपूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ताकि किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना न हो।
39. होर्डिंग्स की संपूर्ण संरचना का वर्षा ऋतु के उपरांत हर वर्ष (सितम्बर माह में) गहरे हरे रंग से पेंट करना होगा तथा नियमित रूप से इसकी संरचना के समस्त अवयवों तथा जोड़ (Joint), नट-बोल्ट्स, एंगल आयरन की सुरक्षात्मक जांच करना व रखरखाव करना अनिवार्य होगा।
40. एक बार होर्डिंग्स लग जाने के बाद होर्डिंग्स की संरचना का विज्ञापन प्रदर्शित वाला क्षेत्र सामग्री/फलेक्स रहित (Uncovered) नहीं होना चाहिए, बिना विज्ञापन की अवधि के दौरान अथवा तेज हवा-बरसात या अन्य किन्हीं कारणों से कटे-फटे फलेक्स/प्रदर्शित सामग्री इत्यादि को तत्काल बदलना होगा ताकि होर्डिंग्स गंदा या भद्दा (Indecent) न दिखें।
41. होर्डिंग्स में प्रदर्शित सामग्री यदि किसी प्रकार से होर्डिंग्स से अलग होती है अथवा हवा में लहराने लगे या खतरनाक स्थिति में हो तो इसे तत्काल ठीक करना होगा, फर्म का यह दायित्व होगा कि वह होर्डिंग्स का नियमित रूप से निरीक्षण करें ताकि किसी भी संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकें।
42. फर्म को अनुबंध अवधि के उपरांत होर्डिंग हटाते समय भवन की छत को पूर्वत ही संरक्षित, साफ अथवा मरम्मत करना होगा जैसा कि वह होर्डिंग लगाने के पूर्व थी, होर्डिंग हटाने के बाद स्थल में किसी भी प्रकार की अवशेष व कचरा इत्यादि नहीं रखना चाहिए।
43. एजेंसी को होर्डिंग्स की पूरी अवधि के लिए संपूर्ण बीमा करना अनिवार्य होगा बीमा के उपरांत उसकी एक प्रति कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा के आयुक्त द्वारा होर्डिंग लगाने की लिखित अनुमति दिए जाने के 30 दिनों में प्रस्तुत करना होगी।
44. होर्डिंग्स की स्थापना से उसके लगे रहने की संपूर्ण अवधि तक किसी भी जान-माल अथवा अन्य किसी भी प्रकार की हानि/क्षति के लिए एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी, किसी भी नुकसान, हानि, क्षति की संपूर्ण भरपाई एजेंसी द्वारा ही की जायेगी।
45. नगर पालिक निगम, कोरबा से किसी भी प्रकार से किसी भी क्षति और हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ना ही उससे ऐसी किसी क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकेगी तथा किसी भी न्यायालय या अन्य के समक्ष नगर पालिक निगम, कोरबा के समक्ष नगर निगम, कोरबा के विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।
46. होर्डिंग्स में यदि प्रकाश व्यवस्था किया जाना हो तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के निर्धारित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा विद्युत कनेक्शन लेने हेतु नगर निगम कोरबा द्वारा अनापति पत्र जारी किया जाएगा, होर्डिंग्स हेतु विद्युत कनेक्शन लेने तथा नियमित रूप से भुगतान से संबंधित समस्त व्यय फर्म द्वारा स्वयं किया जाएगा।
47. आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा की लिखित अनुमति के बिना स्थापित किया गया होर्डिंग पूर्ण रूप से अवैध होगा तथा नगर निगम कोरबा द्वारा जप्त कर राजसात कर लिया जाएगा।
48. फर्म को किराए पर दिए होर्डिंग्स स्थल की संख्या में से 5 (पांच) प्रतिशत होर्डिंग्स योजना स्थल पर या नगर के किसी स्थल पर आयुक्त, नगर निगम, कोरबा के निर्देशानुसार एवं अनुमोदन के अनुसार प्रचार-प्रसार सामग्री लगानी होगी, फर्म को संयुक्त रूप से सीमित अवधि के लिए एक बार में अधिकतम एक माह के लिए तथा एक साल में अधिकतम तीन माह की अवधि के लिए स्वयं के व्यय से फलेक्स बनाकर अनुमोदित कर प्रदर्शित करना होगा।
49. एजेन्सी को होर्डिंग्स के स्थल आबंटन की अनुमति एवं अवैधता संबंधी अद्यतन खाता (समस्त रिकार्ड) रखना अनिवार्य होगा नगर निगम कोरबा द्वारा मांगे जाने पर यह रिकार्ड आयुक्त नगर पालिक निगम



अथवा उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि के समक्ष संपूर्ण जांच (स्थल सहित) के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

50. होर्डिंग स्थल किराए पर देने के किसी भी नियम का उल्लंघन की सूचना देने पर फर्म को अधिकतम 10 दिनों के अन्दर होर्डिंग व उसकी संरचना को अनिवार्य रूप से हटाना होगा।
51. नगर पालिक निगम, कोरबा को यह अधिकार होगा कि वह अपनी आवश्यकता होने पर अथवा ऐसे ही किसी यथोचित स्थिति व दशा में बिना बताए होर्डिंग की अनुमति को निरस्त कर दे ऐसी स्थिति में एजेन्सी को होर्डिंग तथा उसकी संरचना को 10 दिनों के अन्दर हटाना होगा नगर निगम कोरबा की आवश्यकता एवं स्वयं की किसी विशेष परिस्थिति में होर्डिंग्स हटाए जाने के निर्णय पर हटाए जाने वाले होर्डिंग के उपयोग की अवधि को छोड़कर शेष राशि बिना ब्याज राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।
52. नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा किसी भी कारण से किसी भी समय होर्डिंग हटाए जाने का आदेश दिए जाने पर किसी प्रकार का कोई मुआवजा/क्षतिपूर्ति अथवा व्यय की पूर्ति एजेन्सी को नहीं की जाएगी, चाहे होर्डिंग लगाने की लिखित अनुमति ही क्यों न प्रदान कर दी गई हो।
53. नगर निगम, कोरबा की बिना लिखित अनुमति के लगाए गए होर्डिंग नगर निगम कोरबा द्वारा जप्त कर राजसात कर लिया जाएगा तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
54. एजेन्सी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा नगर पालिक नियम के लागू व प्रचलित तथा समय-समय पर लागू किए जाने वाले नियमों, अधिनियमों, आदेश, निर्णय, संकल्पों का पालन करना होगा तथा भविष्य में लागू/अधिरोपित किए जाने वाले शुल्क, सरचार्ज इत्यादि का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।
55. नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर कोरबा नगर पालिक निगम द्वारा कारण बताओं सूचना जारी किया जाएगा, जिसका एजेन्सी को 3 कार्य दिवसों में कारण का उल्लंघन माना जाएगा, इसके लिए आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा निम्न कार्यवाही की जाएगी :-


(अ) पहली बार नियम उल्लंघन पर रू. 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

(ब) दुसरी बार नियम उल्लंघन पर रू. 20,000/- अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

(स) तीसरी बार नियम उल्लंघन पर रू. 30,000/- अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

56. चौथी बार नियम का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित एजेन्सी को दी गई होर्डिंग स्थल आबंटन की अनुमति पूर्ण रूप से निरस्त कर दी जायेगी, फलस्वरूप एजेन्सी का 10 दिनों के अन्दर होर्डिंग की संपूर्ण संरचना को स्थल से हटाना।
57. एजेन्सी द्वारा नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में होर्डिंग्स व सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी तथा बकाया राशि भू-राजस्व की तरह वसूल की जायेगी।
58. कोरबा जोन, परिवहन नगर जोन, कोसाबाड़ी जोन के लिए आवेदन फार्म प्राप्त कर धरोहर राशि जमा करना होगा। कोरबा जोन के लिए रू. 10,000/-, परिवहन नगर जोन 10,000/-, कोसाबाड़ी जोन के लिए रू. 10,000/- निर्धारित है। जिसमें उच्चतम निविदाकर्ता को छोड़कर शेष निविदाकर्ताओं की राशि वापसी योग्य होगी।
59. विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स हेतु कोरबा जोन हेतु रू. 122.98 प्रति वर्गफुट, परिवहन नगर जोन हेतु रू. 184.48 प्रति वर्गफुट, कोसाबाड़ी जोन हेतु रू. 140.55 प्रति वर्गफुट से उच्चतम रहेगा। होर्डिंग्स की साईज के अनुसार वार्षिक किराया देय होगा। यदि विज्ञापन एजेन्सी इससे बड़ा होर्डिंग्स लगाना चाहेंगे तो इसकी अनुमति आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा की स्वीकृति के पश्चात ही लगाया जा सकेगा।
60. छ.ग. शासन नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना दिनांक 07.08.2012 क्रमांक एफ 5-13/18/2011 छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 432 (अ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा राज्य में नगर पालिक निगम, कोरबा के द्वारा विज्ञापन व्यवसाय/सेवा के विनियमन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 427 की उपधारा (23) के अंतर्गत आदर्श उपविधि अनुसार नगर पालिक निगम कोरबा में अंगीकृत की गई है।

61. उच्चतम निविदाकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ शासन नगर प्रशासन एवं विकास की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-13/18/2011 दिनांक 07.08.2012 के अधीन निर्धारित प्रारूप में वचन बद्ध निष्पादन के उपरांत एवं अनुबंध के पश्चात ही विज्ञापन बोर्ड लगाया जावेगा। अनुबंध दिनांक से किराया एवं विज्ञापन अनुज्ञप्ति शुल्क प्रभावशील होगा।
62. उच्चतम निविदाकर्ता एजेंसी को 10 प्रतिशत विज्ञापन बोर्ड आवश्यकता होने पर निगम के लिए आरक्षित रखना होगा।
63. निजी भूमि/निजी भवन हेतु वार्षिक शुल्क उक्त जोन में स्वीकृत उच्चतम निविदा दर के अनुसार 50 प्रतिशत के मान से लगेगा।
64. किसी भी न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायाधिकार क्षेत्र कोरबा (छ.ग.) के अधीन होगा।


हार्डिंग्स अधीक्षक
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

शा.भवन के छतों पर विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने की सूची

कोरबा जोन क. - 01

क्र.	समूह स्थल का नाम	स्थान (शा.भवन के छत पर)होर्डिंग्स लगाने की संख्या
1.	गीतांजली भवन गंगा पान सेन्टर के ऊपर	- 01 नग
2.	रैन बसेरा भवन के ऊपर पुराना बस स्टैण्ड विकास भवन	- 01 नग
	कुल	- 02 नग

परिवहन नगर जोन क. - 02

क्र.	समूह स्थल का नाम	स्थान (शा.भवन के छत पर)होर्डिंग्स लगाने की संख्या
1.	कामर्शियल काम्पलेक्स मामाजी बेकर्स के ऊपर	- 01 नग
2.	बैंक ऑफ बड़ौदा ए.टी.एम. के छत के ऊपर	- 01 नग
3.	खुराना कपड़ा दुकान (स्कूल जोन) के छत ऊपर	- 01 नग
4.	आशू बीग बी दुकान की छत पर	- 01 नग
	कुल	- 04 नग

कोसाबाड़ी जोन क. - 03

क्र.	समूह स्थल का नाम	स्थान (शा.भवन के छत पर)होर्डिंग्स लगाने की संख्या
1.	बुधवारी बाजार मण्डी के रमेश कुमार साहू के दुकान के छत पर	- 02 नग
2.	बुधवारी बाजार पानी टंकी के पास भवन के छत पर	- 01 नग
3.	आई.डी.एस.एम.टी. काम्पलेक्स शिवा इन्टर प्राइजेस के छत पर	- 02 नग
4.	महानदी काम्पलेक्स मो. वर्ल्ड मोबाईल दुकान के छत पर	- 01 नग
5.	महानदी काम्पलेक्स पापुलर सेलून के छत पर	- 01 नग
	कुल	- 07 नग



होर्डिंग्स अधीक्षक
होर्डिंग्स शाखा
नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

सड़क के मध्य विद्युत खम्भों में विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु

निविदा प्रपत्र

निविदा फार्म शुल्क - 750/-

प्रति,

रसीद क्रमांक व दिनांक

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.)

विषय :- नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत सड़क के मध्य विद्युत खम्भों में दोनो तरफ साईज 5X2 विज्ञापन बोर्ड लगाने के संबंध में

नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत चिन्हांकित स्थलों में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाने हेतु निर्धारित शर्तों के तहत सहमत हूँ। निगम द्वारा निर्धारित शर्तों की जानकारी ली जाकर पढ़कर सोच-समझ कर निविदा (ऑफर) प्रपत्र प्रस्तुत है।

क्र.	जोन का नाम	विवरण	विद्युत खम्भों की संख्या	प्रतिबोर्ड साईज (वर्गफुट)	निर्धारित दर (प्रति वर्गफुट) एक तरफ	अवधि	निविदा (ऑफर) राशि एक तरफ (प्रति वर्गफुट में)
1	कोरबा जोन	सुनालिया ज्वेलर्स पा. हा.रोड से पेट्रोल पम्प रेल्वे क्रासिंग तक 20 नग, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोरबा से सीतामणी चौक तक 25 नग विद्युत खम्भों पर कुल 45 नग दोनो तरफ	45	5'X2'	रु. 233.50	05वर्ष	अंकों में : शब्दों में :

मेरे द्वारा निर्धारित अमानत राशि रु. (शब्दों में)
..... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर क्र. एवं दिनांक
..... बैंक का नाम में नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) में जमा की गई है।

अतः मुझे विद्युत खम्भों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति प्रदान करें। नगर पालिक निगम, कोरबा की सभी शर्तें मुझे मान्य है।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

नाम -

पिता/पति का नाम -

स्थायी पता -

मोबाईल नं.-

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

सड़क के मध्य विद्युत खम्भों में विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु

निविदा प्रपत्र

निविदा फार्म शुल्क - 750/-

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.)

रसीद क्रमांक व दिनांक

विषय :- नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत सड़क के मध्य विद्युत खम्भों में दोनो तरफ साईज 5x2 विज्ञापन बोर्ड लगाने के संबंध में

नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत चिन्हांकित स्थलों में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाने हेतु निर्धारित शर्तों के तहत सहमत हूँ। निगम द्वारा निर्धारित शर्तों की जानकारी ली जाकर पढ़कर सोच-समझ कर निविदा (ऑफर) प्रपत्र प्रस्तुत है।

क्र.	जोन का नाम	विवरण	विद्युत खम्भों की संख्या	प्रतिबोर्ड साईज (वर्गफुट)	निर्धारित दर (प्रति वर्गफुट) एक तरफ	अवधि	निविदा (ऑफर) राशि एक तरफ (प्रति वर्गफुट में)
2	परिवहन नगर जोन	सी.एस.ई.बी. चौक से शारदा विहार मोड़ तक 73 नग विद्युत खम्भों पर कुल 73 नग दोनो तरफ	73	5'x2'	रु. 233.50	05वर्ष	अंकों में : शब्दों में :

मेरे द्वारा निर्धारित अमानत राशि रु. (शब्दों में)
..... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर क्र.एवं दिनांक
..... बैंक का नाम में नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) में जमा की गई है।

अतः मुझे विद्युत खम्भों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति प्रदान करें। नगर पालिक निगम, कोरबा की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

नाम -

पिता/पति का नाम -

स्थायी पता -

मोबाईल नं.-.....

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

सड़क के मध्य विद्युत खम्भों में विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु

निविदा प्रपत्र

निविदा फार्म शुल्क – 750/-

रसीद क्रमांक व दिनांक

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.)

विषय :- नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत सड़क के मध्य विद्युत खम्भों में दोनो तरफ साईज 5X2 विज्ञापन बोर्ड लगाने के संबंध में

नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत चिन्हांकित स्थलों में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाने हेतु निर्धारित शर्तों के तहत सहमत हूँ। निगम द्वारा निर्धारित शर्तों की जानकारी ली जाकर पढ़कर सोच-समझ कर निविदा (ऑफर) प्रपत्र प्रस्तुत है।

क्र.	जोन का नाम	विवरण	विद्युत खम्भों की संख्या	प्रतिबोर्ड साईज (वर्गफुट)	निर्धारित दर (प्रति वर्गफुट) एक तरफ	अवधि	निविदा (ऑफर) राशि एक तरफ (प्रति वर्गफुट में)
3	कोसाबाड़ी जोन	आई.टी.आई. चौक से नीलाम्बरी चौक तक 25 नग, नीलाम्बरी मोड़ से सुमाष चौक तक 46 नग एवं बुधवारी बाजार 07 नग विद्युत खम्भों पर कुल 78 नग दोनो तरफ	78	5'X2'	रु. 233.50	05वर्ष	अंकों में : शब्दों में :

मेरे द्वारा निर्धारित अमानत राशि रु. (शब्दों में)
..... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर क्र. एवं दिनांक
..... बैंक का नाम में नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) में जमा की गई है।

अतः मुझे विद्युत खम्भों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति प्रदान करें। नगर पालिक निगम, कोरबा की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

नाम -

पिता/पति का नाम -

स्थायी पता -

.....

मोबाईल नं.-.....

सड़क के मध्य में विद्युत पोल पर विज्ञापन बोर्ड लगाने संबंधी निविदा की शर्तें :-

1. विद्युत पोल पर विज्ञापन बोर्ड हेतु प्रत्येक ग्रुप के लिये अमानत राशि आयुक्त नगर निगम कोरबा के नाम से बैकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर के रूप में जमा करना होगा। लिफाफे पर बैकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर का क्रमांक, राशि एवं दिनांक तथा जिस जोन के लिए जमा किया जा रहा है उसका क्रमांक लिखना अनिवार्य होगा।
2. विद्युत पोल पर लगाये जाने वाले विज्ञापन बोर्ड हेतु एक ग्रुप के लिए जमा अमानत राशि में केवल एक ग्रुप हेतु निविदा दर दी जा सकती है। प्रत्येक ग्रुप हेतु पृथक-पृथक लिफाफे में निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से की जा सकती है।
3. निविदाकार को विद्युत पोल पर पर लगाए जाने वाले विज्ञापन बोर्ड हेतु प्रति वर्गफुट दर निविदा में भरना होगा। निविदाकर्ता का नाम किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
4. 5'x2' (5 ऊंचाई एवं 2 फीट चौड़ाई) साईज के विज्ञापन बोर्ड हेतु उच्चतम दर प्रति वर्गफुट के आधार दर आमंत्रित की गई है। यदि विज्ञापन एजेंसी इससे बड़ा विज्ञापन बोर्ड लगाना चाहेंगे तो इसकी अनुमति आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा की स्वीकृति के पश्चात् ही दी जा सकेगी।
5. यह कि निविदा में निर्धारित एक ग्रुप के अतिरिक्त अन्य ग्रुप का उल्लेख करने पर निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी अर्थात् प्रत्येक ग्रुप के लिए पृथक-पृथक लिफाफे में निविदा फार्म ही मान्य होगा। निविदा खोले जाने के समय स्वयं निविदाकर्ता अथवा उसका कोई एक प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेगा।
6. सीलबंद निविदाएं 03 लिफाफा पद्धति से देना होगा। अमानत राशि के रूप में जमा बैकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर एवं मूल निविदा प्रपत्र की सील बंद निविदायें 03 लिफाफा में देना होगा। उपरोक्त निविदा का निविदा प्रपत्र कार्यालय के वेबसाइट korbamunicipal.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है। लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि का बैकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर एवं निविदा प्रपत्र यदि वेबसाइट से डाउन लोड किया गया हो तो उसके मूल्य का बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक भरकर देना होगा। लिफाफा 'ब' में ठेकेदार का आनरशीप यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र, (पार्टनरशीप डीड) की सत्यप्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी, आय का प्रमाण पत्र/पेन नं./पंजीयन प्रमाण पत्र एवं केन्द्रीय आबकारी विभाग से जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र एवं निगम द्वारा जारी निविदा शर्तों को मान्य करते हुए उसकी एक प्रति जिसके प्रत्येक कंडिका में ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित निविदा शर्तों को भर कर देना होगा। लिफाफा 'स' में मूल निविदा प्रपत्र जिसमें दर अंकित हो भरकर देना होगा। लिफाफा 'अ' एवं 'ब' में निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर ही लिफाफा 'स' खोला जावेगा एवं निगम की काली सूची में दर्ज फर्म का भी लिफाफा नहीं खोला जावेगा। उपरोक्त तीनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में होगा तथा निविदा रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भरकर देना होगा।
7. निविदा दर स्वीकृत होने के पश्चात् निविदाकार विज्ञापन एजेंसी द्वारा उस जोन में निविदा प्रपत्र में निर्धारित विज्ञापन बोर्ड की पूरी संख्या का पूर्ण किराया (वार्षिक) देना होगा। निर्धारित विद्युत पोल व निर्धारित संख्या से कम संख्या में विज्ञापन बोर्ड लगाने की स्थिति में वैकल्पिक स्थल का चयन किया जावेगा। वैकल्पिक स्थल उपलब्ध न होने पर नहीं लगाये गये विज्ञापन बोर्ड के किराये की राशि का समायोजन अगले वर्ष के किराये में किया जायेगा। निविदा दर स्वीकृत होने के 15 दिन के भीतर अनुबंध करना होगा तथा अनुबंध दिनांक से एक माह का समय होर्डिंग्स लगाने हेतु दी जावेगी। अनुबंध से एक माह पश्चात् किराया प्रारम्भ माना जावेगा। निर्धारित संख्या से अधिक विज्ञापन बोर्ड बिना अनुमति के लगाये जाने पर अनुपातिक राशि का पांच गुना अतिरिक्त जमा करना होगा तथा उचित पाये जाने पर उस विज्ञापन बोर्ड की अनुमति दी जावेगी अथवा तत्काल उसे हटाना होगा।
8. किसी भी विभाग द्वारा लगाया जाने वाला समस्त कर निविदाकार विज्ञापन एजेंसी के द्वारा देय होगा।
9. सभी निविदा में दर पांच वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है। निविदा स्वीकार होने पर एक वर्ष का किराया शुल्क विज्ञापन बोर्ड हेतु निविदा में दी गई संख्या अनुसार अनुबंध के पूर्व नगर निगम में

जमा करना होगा जिसमें दर स्वीकृति के 15 दिवस के भीतर 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य है, शेष राशि दर स्वीकृति के 01 माह पूर्व या अनुबंध के पूर्व जो भी पहले हो जमा करना होगा। आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारंभ होने के 2 माह पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने का कार्यवाही की जाकेगी।

10. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु अनुबंध पांच वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 3 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायेगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा न कराये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
11. प्रत्येक ग्रुप में विज्ञापन बोर्ड की संख्या एवं स्थान निर्धारित किया गया है एवं इनकी सूची निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। अन्य आवश्यक जानकारी व शर्तें कार्यालयीन समय में नगर राजस्व शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
12. निविदा को अपरिहार्य कारणों से निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा का होगा।
13. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर एक माह की सूचना पर आयुक्त नगर निगम द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में एक सप्ताह के भीतर संबंधित एजेन्सी आयुक्त नगर निगम कोरबा के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा एवं आयुक्त नगर निगम, कोरबा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
15. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु इकरारनामा 5 वर्ष तक के लिए होगी तथा अवधि पश्चात् दी गई अनुमति स्वमेव ही समाप्त हो जायेगी। अवधि समाप्त होने पर स्वयं के व्यय पर विज्ञापन बोर्ड हटाना होगा अन्यथा नगर निगम के द्वारा जप्त कर लिया जावेगा।
16. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा लगाये गये विज्ञापन बोर्ड के कारण होने वाले प्राकृतिक एवं आकस्मिक तथा अन्य किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं हेतु विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी। इसमें होनी वाली जन-धन की हानि हेतु क्षतिपूर्ति संबंधित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा वहन की जावेगी तथा विज्ञापन एजेन्सी को इस आशय का शपथ-पत्र नगर निगम, निर्धारित प्रारूप में अनुबंध के पूर्व देना होगा।
17. स्वच्छता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं जनहित में अथवा किसी प्रकार के न्यूसेन्स एवं विवाद की स्थिति में किसी भी विज्ञापन बोर्ड को बिना कारण बताये 48 घंटे की सूचना देकर आयुक्त नगर निगम कोरबा द्वारा हटवाया जा सकेगा एवं हटाये जाने का व्यय अथवा इस पर होनी वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु संबंधित विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी। हटाये जाने वाले विज्ञापन बोर्ड का अनुपातिक किराया राशि स्वीकृत निविदा दर अनुसार वापिस कर दी जायेगी।
18. यह कि निविदाकर्ता को शासन/नगर पालिक निगम, कोरबा की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
19. धरोहर राशि का समायोजन अंतिम वर्ष के किराये में किया जावेगा।
20. यह कि शासन एवं नगर निगम कोरबा द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित किया गया अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से विकृत/अश्लील/आपत्ति जनक लेख से संबंधित एवं अन्य किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक विज्ञापन विज्ञापन बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा अन्यथा तत्काल बगैर सूचना के आयुक्त नगर निगम कोरबा द्वारा हटा दिये जायेगें तथा इसमें होनी वाली दण्ड, हानि, हटाने का व्यय एवं सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति विज्ञापन एजेन्सी से वसूल किया जायेगा।
21. अनुबंध पश्चात विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु चयनित विद्युत पोल का प्रभारी अधिकारी द्वारा अवलोकन किया जायेगा एवं स्वीकृति उपरान्त ही विज्ञापन बोर्ड लगाया जा सकेगा।
22. भुगतान संबंधी विवाद होने पर निगम द्वारा दर्शायी गई वसूली योग्य राशि पहले संबंधित एजेन्सी को नगर निगम में जमा कराना होगा, तत्पश्चात् ही उनके पक्ष पर विचार किया जा सकेगा। निगम हित/जनहित में निगम आयुक्त सभी शर्तों को अथवा कोई भी शर्तों को शिथिल कर सकेंगे।



23. यह कि अर्नेस्ट मनी (बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर) निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर वापस कर दी जायेगी एवं, जिस एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी उनका अर्नेस्ट मनी (बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर) निविदा अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी।
24. सम्पूर्ण नगर निगम सीमान्तर्गत कोई भी नये प्रकार के विज्ञापन के लिए समस्त अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में कोई भी निविदाकार अथवा अन्य विज्ञापन एजेन्सी की किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
25. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु शासन के किसी अन्य विभागों से अनापत्ति आवश्यक होने पर संबंधित विज्ञापन एजेन्सी को ही ऐसी अनापत्ति प्राप्त कर नगर निगम में जमा कराना होगा।
26. विद्युत पोल पर विज्ञापन बोर्ड हेतु आवश्यकता अनुसार विद्युत कनेक्शन लेने की स्थिति में विज्ञापन एजेन्सी द्वारा स्वतः के व्यय पर विद्युत मण्डल से अनापत्ति प्राप्त करते हुए पृथक से मीटर लगवाना होगा जिसका मासिक बिल विज्ञापन एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा। ऐसे विद्युतिकृत विज्ञापन बोर्ड पूर्णतः सुरक्षित ढंग से विज्ञापन एजेन्सी द्वारा लगाये जायेगे तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की दुर्घटना आदि होने पर समस्त जवाबदारी संबंधित विज्ञापन एजेन्सी की होगी। विज्ञापन एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रीशियन/हेल्पर एवं कुशल तथा अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति करना होगा।
27. यातायात संबंधित नियमों एवं निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा तथा विज्ञापन कार्य हेतु यातायात विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
28. विद्युत पोल पर व उसकी संपूर्ण संरचना तथा उस पर विज्ञापित, प्रदर्शित सामग्री से किसी व्यक्ति, संस्था की संपत्ति, यातायात व सड़क के आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा, अवरोध दृष्टिबाधा तथा उससे किसी प्रकार के चककीला परावर्तन नहीं होना चाहिए। विज्ञापन बोर्ड में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक स्क्रीन वाली, चलायमान तत्व (Moving Articles) तथा शोर (Noise) उत्पन्न करने वाली सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
29. विद्युत पोल पर में प्रदर्शित विज्ञापन सामग्री किसी भी प्रकार से अशोभनीय, अश्लील, अशिष्ट सार्वजनिक नैतिकता के प्रतिकूल, सार्वजनिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली, अभद्र, अमंगलकारी तथा भ्रामक नहीं होनी चाहिए।
30. विद्युत पोल पर से किसी व्यक्ति/संस्था अथवा आम नागरिकों को किसी प्रकार के पर्यावरण के प्रतिकूल, शारिरिक अथवा मानसिक परेशानी नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन बोर्ड में किसी भी प्रकार के नशे की सामग्री या उसके उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित विज्ञापन इत्यादि का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
31. विद्युत पोल पर में किसी भी संवैधानिक संस्थाओं, केन्द्र सरकार, राज्य शासन, उसके अधीन समस्त शासकीय उपक्रमों, शासकीय संस्थाओं तथा उनके समस्त पदाधिकारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विज्ञापन, फोटो, रेखाचित्र, कार्टून, वाक्य, शब्द, इत्यादि आपत्तिजनक या अपमानित करने वाला प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
32. फर्म द्वारा विज्ञापन बोर्ड में केन्द्र सरकार व राज्य शासन द्वारा प्रतिबंधित किसी भी संगठन के प्रचार-प्रसार अथवा उनके द्वारा किसी कार्यक्रम के प्रयोजन-आयोजन से संबंधित कोई भी सूचना, विज्ञापन या प्रचारात्मक सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
33. विद्युत पोल पर में विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के लिए उपयोग में लाई जाने वाली समस्त सामग्रियों यथा फ्लेक्स, कपड़ा या अन्य कोई प्रयुक्त सामग्री पूर्ण गुणवत्ता की होनी चाहिए। ऐसी सभी सामग्रियां होर्डिंग्स की संरचना में व्यवस्थित रूप से लगी होनी चाहिए।
34. विद्युत पोल पर में प्रदर्शित किसी भी आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के मौखिक अथवा लिखित निर्देश पर उसे 24 घण्टे में अनिवार्य रूप से हटाना होगा। ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री 24 घण्टे के अन्दर नहीं हटाए जाने पर आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को यह अधिकार होगा कि वह उसे हटा दे तथा इस पर होने वाला व्यय फर्म से विधि अनुरूप उसकी वसूली करें, आपत्तिजनक सामग्री हटाने के दौरान किसी भी क्षति या नुकसान के लिए नगर पालिक निगम, कोरबा जिम्मेदार नहीं होगा।



35. नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा निर्धारित स्थल पर विज्ञापन बोर्ड की संरचना स्थापित करते समय फर्म को स्थल के आस-पास संपूर्ण सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करना होगा, विज्ञापन बोर्ड की स्थापना से जुड़े समस्त कर्मचारियों, कुशल-अकुशल मजदूरों तथा आम जनता की कार्य के दौरान संपूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ताकि किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना न हो।
36. एक बार विज्ञापन बोर्ड लग जाने के बाद विज्ञापन की संरचना का विज्ञापन प्रदर्शित वाला क्षेत्र सामग्री/फ्लेक्स रहित (Uncovered) नहीं होना चाहिए, बिना विज्ञापन की अवधि के दौरान अथवा तेज हवा-बरसात या अन्य किन्हीं कारणों से कटे-फटे फ्लेक्स/प्रदर्शित सामग्री इत्यादि को तत्काल बदलना होगा ताकि विज्ञापन बोर्ड गंदा या भद्दा (Indecent) न दिखें।
37. विद्युत पोल पर में प्रदर्शित सामग्री यदि किसी प्रकार से विज्ञापन बोर्ड से अलग होती है अथवा हवा में लहराने लगे या खतरनाक स्थिति में हो तो इसे तत्काल ठीक करना होगा, फर्म का यह दायित्व होगा कि वह विज्ञापन बोर्ड का नियमित रूप से निरीक्षण करें ताकि किसी भी संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकें।
38. फर्म को अनुबंध अवधि के उपरांत विज्ञापन बोर्ड हटाते समय भवन की छत को पूर्वत ही संरक्षित, साफ अथवा मरम्मत करना होगा जैसा कि वह विज्ञापन बोर्ड लगाने के पूर्व थी, विज्ञापन बोर्ड हटाने के बाद स्थल में किसी भी प्रकार की अवशेष व कचरा इत्यादि नहीं रखना चाहिए।
39. विद्युत पोल पर की स्थापना से उसके लगे रहने की संपूर्ण अवधि तक किसी भी जान-माल अथवा अन्य किसी भी प्रकार की हानि/क्षति के लिए एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी, किसी भी नुकसान, हानि, क्षति की संपूर्ण भरपाई एजेंसी द्वारा ही की जायेगी।
40. नगर पालिक निगम, कोरबा से किसी भी प्रकार से किसी भी क्षति और हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ना ही उससे ऐसी किसी क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकेगी तथा किसी भी न्यायालय या अन्य के समक्ष नगर पालिक निगम, कोरबा के समक्ष नगर निगम, कोरबा के विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।
41. विद्युत पोल पर में यदि प्रकाश व्यवस्था किया जाना हो तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के निर्धारित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा विद्युत कनेक्शन लेने हेतु नगर निगम कोरबा द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया जाएगा, विज्ञापन बोर्ड हेतु विद्युत कनेक्शन लेने तथा नियमित रूप से भुगतान से संबंधित समस्त व्यय फर्म द्वारा स्वयं किया जाएगा।
42. आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा की लिखित अनुमति के बिना स्थापित किया गया विज्ञापन बोर्ड पूर्ण रूप से अवैध होगा तथा नगर निगम कोरबा द्वारा जप्त कर राजसात कर लिया जाएगा।
43. फर्म को किराए पर दिए विद्युत पोल की संख्या में से 5 (पांच) प्रतिशत विज्ञापन बोर्ड योजना स्थल पर या नगर के किसी स्थल पर आयुक्त, नगर निगम, कोरबा के निर्देशानुसार एवं अनुमोदन के अनुसार प्रचार-प्रसार सामग्री लगानी होगी, फर्म को संयुक्त रूप से सीमित अवधि के लिए एक बार में अधिकतम एक माह के लिए तथा एक साल में अधिकतम तीन माह की अवधि के लिए स्वयं के व्यय से फ्लेक्स बनाकर अनुमोदित कर प्रदर्शित करना होगा।
44. एजेंसी को विज्ञापन बोर्ड के स्थल आबंटन की अनुमति एवं अवैधता संबंधी अद्यतन खाता (समस्त रिकार्ड) रखना अनिवार्य होगा नगर निगम कोरबा द्वारा मांगे जाने पर यह रिकार्ड आयुक्त नगर पालिक निगम अथवा उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि के समक्ष संपूर्ण जांच (स्थल सहित) के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
45. विद्युत पोल पर स्थल किराए पर देने के किसी भी नियम का उल्लंघन की सूचना देने पर फर्म को अधिकतम 10 दिनों के अन्दर विज्ञापन बोर्ड व उसकी संरचना को अनिवार्य रूप से हटाना होगा।
46. नगर पालिक निगम, कोरबा को यह अधिकार होगा कि वह अपनी आवश्यकता होने पर अथवा ऐसे ही किसी यथोचित स्थिति व दशा में बिना बताए विज्ञापन बोर्ड की अनुमति को निरस्त कर दे ऐसी स्थिति में एजेंसी को विज्ञापन बोर्ड तथा उसकी संरचना को 10 दिनों के अन्दर हटाना होगा नगर निगम कोरबा की आवश्यकता एवं स्वयं की किसी विशेष परिस्थिति में विज्ञापन



बोर्ड हटाए जाने के निर्णय पर हटाए जाने वाले विज्ञापन बोर्ड के उपयोग की अवधि को छोड़कर शेष राशि बिना ब्याज राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।


47. एजेन्सी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा नगर पालिक निगम के लागू व प्रचलित तथा समय-समय पर लागू किए जाने वाले नियमों, अधिनियमों, आदेश, निर्णय, संकल्पों का पालन करना होगा तथा भविष्य में लागू/अधिरोपित किए जाने वाले शुल्क, सरचार्ज इत्यादि का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।
48. नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर कोरबा नगर पालिक निगम द्वारा कारण बताओं सूचना जारी किया जाएगा, जिसका एजेन्सी को 3 कार्य दिवसों में कारण का उल्लंघन माना जाएगा, इसके लिए आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा निम्न कार्यवाही की जाएगी :-

(अ) पहली बार नियम उल्लंघन पर रू. 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

(ब) दुसरी बार नियम उल्लंघन पर रू. 20,000/- अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

(स) तीसरी बार नियम उल्लंघन पर रू. 30,000/- अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

49. चौथी बार निगम का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित एजेंसी को दी गई विज्ञापन बोर्ड आबंटन की अनुमति पूर्ण रूप से निरस्त कर दी जायेगी, फलस्वरूप एजेंसी का 10 दिनों के अन्दर विज्ञापन बोर्ड की संपूर्ण संरचना को विद्युत पोल से हटाना।
50. एजेंसी द्वारा नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में विज्ञापन बोर्ड व सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी तथा बकाया राशि भू-राजस्व की तरह वसूल की जायेगी।
51. कोरबा जोन, परिवहन नगर जोन, कोसाबाड़ी जोन के लिए आवेदन फार्म प्राप्त कर धरोहर राशि जमा करना होगा। कोरबा जोन के लिए रू. 25,000/-, परिवहन नगर जोन 25,000/-, कोसाबाड़ी जोन के लिए रू. 25,000/- निर्धारित है। जिसमें उच्चतम निविदाकर्ता को छोड़कर शेष निविदाकर्ताओं की राशि वापसी योग्य होगी।
52. विद्युत पोल पर विज्ञापन बोर्ड कोरबा जोन, परिवहन नगर जोन, कोसाबाड़ी जोन प्रति वर्गफुट हेतु दर विद्युत पोल एक तरफ रूपये 233.50 से उच्चतम रहेगा। विज्ञापन बोर्ड की साईज के अनुसार वार्षिक किराया देय होगा। यदि विज्ञापन एजेंसी इससे बड़ा विज्ञापन बोर्ड लगाना चाहेंगे तो इसकी अनुमति आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा की स्वीकृति के पश्चात ही लगाया जा सकेगा।
53. छ.ग. शासन नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना दिनांक 07.08.2012 क्रमांक एफ 5-13/18/2011 छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 432 (अ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा राज्य में नगर पालिक निगम, कोरबा के द्वारा विज्ञापन व्यवसाय/सेवा के विनियमन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 427 की उपधारा (23) के अंतर्गत आदर्श उपविधि अनुसार नगर पालिक निगम कोरबा में अंगीकृत की गई है।
54. उच्चतम निविदाकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ शासन नगर प्रशासन एवं विकास की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-13/18/2011 दिनांक 07.08.2012 के अधीन निर्धारित प्रारूप में वचन बद्ध निष्पादन के उपरांत एवं अनुबंध के पश्चात ही विज्ञापन बोर्ड लगाया जावेगा। अनुबंध दिनांक से किराया एवं विज्ञापन अनुज्ञप्ति शुल्क प्रभावशील होगा।
55. उच्चतम निविदाकर्ता एजेंसी को 10 प्रतिशत विद्युत पोल पर विज्ञापन बोर्ड आवश्यकता होने पर निगम के लिए आरक्षित रखना होगा।
56. किसी भी न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायाधिकार क्षेत्र कोरबा (छ.ग.) के अधीन होगा।


होर्डिंग्स अधीक्षक
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

सड़क के मध्यम विद्युत खम्भों में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने की सूची

कोरबा जोन

1. सुनालिया ज्वेलर्स पा.हा.रोड से पेट्रोल पम्प रेल्वे क्रॉसिंग तक 20 नग, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोरबा से सीतामणी चौक तक 25 नग विद्युत खम्भों पर दोनो तरफ साईज 5X2 कुल 45 नग

कोसाबाड़ी जोन

2. आई.टी.आई चौक से नीलाम्बरी चौक तक 25 नग तथा नीलाम्बरी मोड से सुभाष चौक तक 46 नग एवं बुधवारी बाजार 07 नग सड़क के मध्य विद्युत खम्भों पर दोनो तरफ 5X2 विज्ञापन बोर्ड कुल-78 विज्ञापन बोर्ड

परिवहन नगर जोन

3. सी.एस.ई.बी चौक से शारदा विहार मॉड तक सड़क के मध्य विद्युत खम्भों पर दोनो तरफ 5X2 विज्ञापन बोर्ड कुल-73 नग



होर्डिंग्स अधीक्षक
होर्डिंग्स शाखा
नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)